आई.एस.एस.एन. 2230—7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष - 32 अंक 127 अप्रैल-जून, 2014

वर्ष - 32 अंक 127 अप्रैल-जून, 2014

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)
अप्रैल-जून, 2014

सलाहकार समिति

राजन गुप्ता
महानिदेशक

आर.के. किणि ए.
अपर महानिदेशक

निर्मल कौर
महानिरीक्षक (एस.पी.डी.)

सुनील कपूर
उप महानिरीक्षक (एस.पी.डी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
011-24360371/115
011-24389615

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का अप्रैल-जून, 2014 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित व प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ ओजस्वी विचार प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिस-कर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिस-कर्मियों के लिए **भीड़ नियंत्रण के प्राण घातक रहित उपाय, वी.आई.पी. संस्कृति में पुलिस की भूमिका, क्रेडिट-डेबिट कार्ड क्लोनिंग से बढ़ती धोखाधड़ी : समस्या एवं समाधान, सांप्रदायिकता और उसे रोकने के उपाय, ग्रामीण विकास में पुलिस की भूमिका, भारत में पुलिस सुधार : राजस्थान पुलिस के विशेष संदर्भ में, समझौता करके भी सजा पाएगा बलात्कारी, लोकतंत्र में पुलिस सेवा** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा
संपादक

वर्ष - 32 अंक 127 अप्रैल-जून, 2014

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जैड. खान, नई दिल्ली
श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री वी.वी. सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

अनुक्रम

भीड़ नियंत्रण के प्राण घातक रहित उपाय
- *हाकिम राय* ---------- *7*

वी.आई.पी. संस्कृति में पुलिस की भूमिका
- *डा. सुरेंद्र कटारिया* ---------- *15*

क्रेडिट-डेबिट कार्ड क्लोनिंग से बढ़ती धोखाधड़ी समस्या एवं समाधान
- *अरुण कुमार पाठक* ---------- *20*

सांप्रदायिकता और उसे रोकने के उपाय
- *एस.पी. सिंह* ---------- *24*

ग्रामीण विकास में पुलिस की भूमिका
- *प्रो. मृत्युंजय उपाध्याय* ---------- *33*

भारत में पुलिस सुधार : राजस्थान पुलिस के विशेष संदर्भ में
- *जालम सिंह* ---------- *39*

समझौता करके भी सजा पाएगा बलात्कारी
- *मनीष कुमार संतोष* ---------- *47*

लोकतंत्र में पुलिस सेवा
- *ओम प्रकाश दार्शनिक* ---------- *53*

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : ओम प्रकाशन, डी-46, विवेक विहार (भूतल), दिल्ली-110095

भीड़ नियंत्रण के प्राण घातक रहित उपाय

हाकिम राय
पुलिस उपाधीक्षक (से.नि.),
9-डी, एच.आई.जी., अवंतिका कालोनी,
एम.डी.ए. कांठ रोड, मुरादाबाद (उ.प्र.)

राजतंत्र प्रणाली के देशों में जनसमूह को नियंत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वहां सत्ता राजा में केंद्रित होती है परंतु प्रजातांत्रिक प्रणाली के देश में पुलिस पर दोहरा दायित्व होता है, क्योंकि उसको एक ओर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करनी होती है और दूसरी ओर जब नागरिक अपने मूल अधिकारों का अतिक्रमण करके हिंसा पर उतारू हो जाते हैं तो उनको नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व भी पुलिस का ही होता है, यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी को अवैधानिक जनसमूह को तितर-बितर करने का आदेश देने व आदेश का पालन न करने पर उस जनसमूह को बल प्रयोग के द्वारा तितर बितर करने व गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है व गोली चलाने के लिए भी दिशा निर्देश राज्यों के पुलिस रेगुलेशन में दिए गए हैं कि गोली केवल तभी चलाई जाएगी जब जीवन व संपत्ति की रक्षा करने के लिए ऐसा करना अति आवश्यक हो जाए।

फिर भी अकसर समाचार-पत्रों व टी.वी. चैनलों से यह जानकारी मिलती है कि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करके भीड़ नियंत्रण में लोगों को जान से मार दिया है। कई बार न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोग भी न्यायालय में चलाए जाते हैं पुलिस को किसी न किसी प्रकार की भीड़ का सामना दिन-प्रतिदिन करना होता है और बल प्रयोग भी करने का अवसर आ जाता है तो पुलिस बल के लिए बल प्रयोग के मार्गदर्शन व प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार विचार करने के उपरांत एक कमेटी बनायी गयी जिसको नागरिकों की भीड़ के साथ व्यवहार करते समय प्राणघातक शस्त्रों के अतिरिक्त कुछ उपाय सुझाने का कार्य दिया गया। उस कमेटी के सुझावों का यदि ध्यानपूर्वक पालन किया जाए तो पुलिस आरोपों से बच सकती है और अपना कार्य भी कर सकती है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार ने तत्कालीन गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2010 को जन आंदोलनों के साथ व्यवहार करने के लिए प्राण घातक रहित मानक उपायों की संस्तुति करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स में निदेशक इंटेलीजेंस ब्यूरो, स्पेशल सेक्रेट्री इंटेलीजेन्स ब्यूरो, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल संयुक्त सचिव (आधुनिकीकरण) सदस्य थे व महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो सदस्य व सचिव थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर व छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक व महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी बंगाल के प्रमुख सचिव गृह भी सदस्य थे। उस टास्क फोर्स द्वारा मानक उपायों की प्रक्रिया को पूर्ण करके जो उपाय सुझाये हैं उनको पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अंग्रेजी में प्रिंट करवाकर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को अनुपालन हेतु मार्च 2011 में प्रेषित किया गया है।

टास्क फोर्स द्वारा सुझाए गए उपायों को हिंदी में पुलिस विभाग में भीड़ का सामना करनेवाले पुलिस अधिकारियों तक पहुंचना नितांत आवश्यक है। अतः टास्क फोर्स के सुझाव व अपने निजी अनुभव के आधार पर यह लेख हिंदी में तैयार किया गया है जो हिंदी भाषी राज्यों की पुलिस के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि अभी भी पुलिस द्वारा अधिक व अनियमित बल प्रयोग करने की शिकायतों व जांचों का सिलसिला जारी हैं। पिछले दो वर्षों में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों में पुलिस द्वारा किए गए अकारण व अधिक बल प्रयोग के बारे में काफी कुछ समाचार-पत्रों में लिखा गया है व उच्चतम न्यायालय में भी जनहित में याचिकाएं दायर की गईं व पुलिस को अपनी कार्रवाई के बारे में उत्तर दाखिल

करना पड़ा। पुलिस को भीड़ नियंत्रण में इस लेख में लिखे जा रहे निर्देशों को पालन करने से उनकी कार्रवाई की पारदर्शिता बनी रहेगी व जांच होने पर उस पारदर्शिता का लाभ कार्य करनेवाले पुलिसजनों को प्राप्त होगा। भीड़ नियंत्रण के प्राणघातक रहित उपायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :—

सामान्य

1. भीड़ के साथ व्यवहार करने के मानक उपायों की प्रक्रिया का उद्देश्य अवैधानिक जनसमूह को तितर-बितर करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग करने व कम से कम हानि कारित करने के लिए मार्गदर्शक बिंदु उपलब्ध कराना है। भारतवर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया है। भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्वक एकत्र होकर अपनी कठिनाइयों को प्रकट करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार का जमाव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। यदि नागरिक शांतिपूर्वक एकत्र होकर अपनी बात कहते हैं तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और यदि वह नागरिक अपने अधिकारों का उल्लंघन करके हिंसा पर उतारू होते हैं तो उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी पुलिस का ही है। इस दोहरे दायित्व का निर्वहन करने में पुलिस बल को काफी सतर्क रहकर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है अन्यथा पुलिस बल अपने बल प्रयोग के अधिकार की सीमा का उल्लंघन कर सकता है। इस लेख में दिए गए निर्देश उनके मार्गदर्शक का कार्य करेंगे।

2. अवैधानिक जनसमूह को तितर-बितर करने की विधि/निर्देश का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता/पुलिस अधिनियम व राज्य के पुलिस रेगुलेशंस में किया गया है। किसी अवैधानिक जनसमूह को तितर-बितर करने का आदेश मौजूद कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ थाना प्रभारी/ उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा दिया जा सकता है और जब तितर-बितर होने का आदेश दे दिया गया हो तब उस अवैधानिक जनसमूह के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वह तितर बितर हो जाएं। यदि वह तितर-बितर नहीं होते हैं तो सामान्य रूप से उन्हें तितर-बितर करने के लिए न्यूनतम बल क्रमबद्ध रूप से प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी अवैधानिक समूह के सदस्यों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और उन्हें तितर बितर-कर सकता है।

3. पुलिस व जनता की सम्मिलित गोष्ठी लगातार की जानी चाहिए और पुलिस को समस्या की स्थिति को सुलझाने के लिए ऐसी गोष्ठियां करके आम आदमी को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए।

4. मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट/ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जानेवाले बल के स्वरूप व मात्रा को तय किया जाए।

5. बल प्रयोग का उद्देश्य अवैधानिक जनसमूह को दंडित करना नहीं है बल्कि उसे तितर-बितर करना है।

6. अवैधानिक जनसमूह के तितर-बितर हो जाने के बाद बल प्रयोग की कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए।

7. अवैधानिक समूह को बल प्रयोग से तितर-बितर करने के बाद उसमें सम्मिलित रहे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रशिक्षण (Training)

1. राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था चयनित स्कूल/ कॉलेजों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण में की जाए।

2. प्रशिक्षण में भीड़ नियंत्रण के दौरान संसाधनों के प्रभावी प्रयोग, दोनों तरफ कम से कम क्षति व मानव मृत्यु कारित करने से बचने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

3. प्रशिक्षण के दौरान भीड़ नियंत्रण संबंधी विधि व प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान प्रदान किया जाए।

4. प्रशिक्षण देनेवालों को न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए।

5. प्रशिक्षण के दौरान मानवाधिकारों व मानवीय मूल्यों का आदर करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

6. जनपद के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब जनपद के उपखों में नियुक्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी जनपद के मुख्यालय पर आएं तो वह समय-समय पर जनपद की रिजर्व सशस्त्र पुलिस की सहायता से भीड़ का प्रदर्शन आयोजित करें।

7. जनपद में भीड़ नियंत्रण के संबंध में बनावटी

अभ्यास किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के अभ्यास का उद्देश्य आपातकाल के समय पुलिस की तैयारी व की जानेवाली कार्रवाई को चैक करना होता है। ऐसे अभ्यास कानून-व्यवस्था से जुड़ी सभी इकाइयों के सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए किए जाते हैं।

भीड़ नियंत्रण को नियंत्रित करने की मानव प्रक्रिया

युक्तियां (Tactics)

1. जहां तक संभव हो भीड़ को बिना बल प्रयोग किए तितर-बितर करने का प्रयास किया जाए और भीड़ को समझाकर, बातचीत करके और मध्यस्थता करके तितर-बितर करने का प्रयास किया जाए।

2. यदि भीड़ में सम्मिलित लोग अपने अवैधानिक कार्यों में लगे रहते हैं तो उनके समूह को अवैधानिक घोषित किया जाए।

3. उसके पश्चात उनको तितर-बितर होने का आदेश दिया जाए और यदि वह तितर-बितर नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग किया जाए।

4. यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें चेतावनी दी जाए कि उनको तितर-बितर करने व गिरफ्तार करने में बल प्रयोग किया जाएगा।

5. यदि इसके पश्चात भी वह जनसमूह अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो उसे तितर-बितर के लिए बल प्रयोग किया जाए।

6. जनसमूह को तितर-बितर करने के लिए सबसे पहले ऐसे बल का प्रयोग किया जाए जो प्राणघातक नहीं है और प्राण घातक बल अंत में प्रयोग किया जाए जब सभी अन्य साधन विफल हो जाएं।

7. जनसमूह पर प्राणघातक बल के प्रयोग करने के निर्णय के पूर्व जहां तक संभव हो उस जनसमूह को एक बार पुनः चेतावनी दी जाए।

8. यदि जनसमूह को तितर-बितर करने के लिए उस पर गोली चलाना आवश्यक हो जाए तो जहां तक संभव हो गोली का निशाना भीड़ में सम्मिलित व्यक्तियों की कमर से नीचे की ओर रखने का प्रयास किया जाए।

9. थाना प्रभारी द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए बल को नियुक्त करने से पूर्व उसे उचित व स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए।

10. जनसमूह को तितर-बितर करने की संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी कराए जाने का प्रयास किया जाए।

11. जनता में विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तंत्र को उस क्षेत्र में सक्रिय होकर संभ्रांत लोगों से संपर्क करके उन्हें उन समस्याओं के बारे में बताना चाहिए जो किसी कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं।

भीड़ नियंत्रण की प्रक्रिया (Procedure)

1. प्रशासन द्वारा एक कार्यापालक मजिस्ट्रेट को वहां नियुक्त करना चाहिए जहां बल प्रयोग की आवश्यकता की संभावना प्रतीत हो रही हो। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्वयं या पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर उस स्थान पर उपस्थित रहना चाहिए।

2. जब जनपद की पुलिस/ प्रशासन द्वारा भीड़ को समझाने, परामर्श देने व चेतावनी देने के उपाय असफल हो जाएं तो मौके पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पुलिस बल को एकत्र करके (जिसमें महिला पुलिस भी सम्मिलित हैं) व उस बल का सही उपयोग करके मजिस्ट्रेट का सहयोग करना चाहिए। पुलिस बल को मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश के अनुपालन में अवैधानिक जनसमूह को तितर-बितर करने में आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग करना चाहिए। पुलिस बल को पानी की बौछार का, लाठी व टियरगैस का प्रयोग व कम प्राणघातक शस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए।

3. यदि अवैधानिक जनसमूह आदेश की अवहेलना करके जमा रहता है व टियर गैस व लाठी चार्ज का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तब आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट/ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस बात का निर्णय करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उस अवैधानिक जनसमूह को तितर-बितर करने के लिए कब व किस प्रकार का व कितनी मात्रा में बल का प्रयोग किया जाना है।

4. इस प्रकार का निर्णय लेने के बाद मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह तय करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि किस प्रकार का बल व कितनी मात्रा में बल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा।

5. अवैधानिक समूह में सम्मिलित व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा हेतु प्राणघातक शस्त्रों के अतिरिक्त अन्य शस्त्रों का प्रयोग किया जाए। यदि गोली चलानी पड़े तो उसका लक्ष्य शरीर के नीचे के भाग पर होना चाहिए जिससे उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को कोई क्षति न होने पाए।

6. पुलिसजनों को सभी आदेश उस पुलिस पार्टी के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही दिए जाएंगे। पुलिसजनों को मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना गोली नहीं चलानी चाहिए।

7. यदि चेतावनी देने के बाद भी अवैधानिक जनसमूह तितर-बितर नहीं होता है तो गोली चलाने का आदेश मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। मौजूद मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह तय करेगा कि पुलिस पार्टी में कौन-कौन गोली चलाएगा व कितने राउन्ड गोलियों के चलाए जाएंगे। यदि गोली चलाने का आदेश दिया जाता है तो एक बार में एक शाट चलाने का आदेश दिया जाएगा। गोली चलाने के बाद मौजूद मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अवैधानिक जनसमूह पर गोली चलाने के प्रभाव का अनुमान लगाएंगे और उसके अनुसार और किसी बल के प्रयोग का निर्णय लिया जाएंगा।

8. गोली चलाना तत्काल बंद कर देना चाहिए यदि मौजूद मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की राय में अवैधानिक जनसमूह तितर-बितर होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। भीड़ के तितर-बितर हो जाने के बाद पुलिस पार्टी को तत्काल मृतकों/घायलों को वहां से हटा कर अस्पताल भेजना चाहिए।

9. जहां तक संभव हो अव्यवस्था को एक छोटे क्षेत्र में सीमित रखा जाए और उस क्षेत्र की पूरी घेराबंदी कर लेनी चाहिए जिससे हिंसा अन्य क्षेत्रों में न फैल सके।

10. अवैधानिक जनसमूह के साथ कार्रवाई करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रभावित क्षेत्र में लोगों की संपत्ति व महत्वपूर्ण संस्थान सुरक्षित रहें।

11. पुलिस को अवैधानिक जनसमूह के सदस्यों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए पीछा नहीं करना चाहिए जहां यह आशंका हो कि इससे वह लोग कोई जघन्य कार्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप दंगाइयों या पुलिसजनों की जान को खतरा हो सकता है।

विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई के मानक उपाय

पुलिस बल को विभिन्न प्रकार की भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक प्रकार की भीड़ से व्यवहार अलग-अलग तरीके से किया जाना आवश्यक है जिनका विवरण निम्नवत है :—

पत्थर फेंकने वाली भीड़ के नियंत्रण के लिए की जानेवाली कार्रवाई

जब कोई हिंसक भीड़ पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंकने लगे तो ऐसी परिस्थिति में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लगाए गए पुलिस बल को निम्नलिखित मानक उपायों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए :—

1. प्रारंभ में ही भीड़ के तितर-बितर की घोषणा लाउडस्पीकर से या अन्य उपलब्ध साधन से की जानी चाहिए।

2. बलवे के फ्लैग व बैनर पुलिस को साथ ले जाने चाहिए और उनको स्पष्ट दिखाई देनेवाले स्थान पर प्रदर्शित करना चाहिए।

3. पत्थर फेंकने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के कार्य में नियुक्त व मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अवैधानिक जनसमूह पर पहले लाठी व शील्ड से कार्रवाई करने की संभावना के बारे में आकलन करना चाहिए। यह आकलन अवैधानिक जनसमूह की संख्या व पुलिस बल की संख्या पर निर्भर करेगा और इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पुलिस पार्टी दंगा विरोधी संसाधनों से

सुसज्जित है जिससे पुलिसजनों को अनुपात से अधिक चोटें न पहुंचने पाए।

4. यदि अवैधानिक जनसमूह की ओर से पत्थर फेंकना जारी रहता है तो पुलिस बल को जहां तक संभव हो, पहले पानी की बौछार व टियर गैस शैल का इस्तेमाल करना चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि टियर गैस के शैल भीड़ से सम्मिलित व्यक्तियों के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर न लगें जिससे मृतकों की संख्या को कम किया जा सके।

5. यदि टियर गैस का प्रयोग प्रभावी नहीं होता है तब अन्य बिना प्राणघातक या कम प्राणघातक साधनों का प्रयोग सावधानी व विवेक से करना चाहिए। गोली चलाते समय यह प्रयास किया जाए कि गोली का लक्ष्य कमर से नीचे की ओर रखा जाए जिससे क्षति को कम किया जा सके।

6. गोली का लक्ष्य पत्थर फेंकने वाली भीड़ के सबसे अधिक हिंसक भाग की ओर होना चाहिए।

7. जब उक्त सभी उपाय विफल हो जाए और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए बल प्रयोग के प्रावधानों का अनुसरण किया जाए। सर्वप्रथम अवैधानिक जनसमूह को लाउडस्पीकर या लाउडहेलर के द्वारा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने के बारे में चेतावनी दी जाए। इस पर यदि अवैधानिक जनसमूह पर कोई प्रभाव नहीं होता है और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग अवयंभावी हो जाता है तो पहले गोली के राउंड हवा में चलाए जाए। यदि इस पर भी वह जनसमूह तितर-बितर नहीं होता है तो मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक-एक राउंड गोली चलाने का निर्णय कर सकता है। गोली चलानेवाले पुलिसजनों का चिह्नित किया जाना चाहिए और उन्हें ठीक प्रकार से समझा दिया जाना चाहिए। न्यूनतम आवश्यक आग्नेयास्त्रों के प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कम से कम लोग मरें या घायल हों।

8. गोली चलाना उस समय बंद कर देना चाहिए जब मौजूद मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की राय में यदि अवैधानिक जनसमूह तितर-बितर होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।

9. यदि प्राधिकारियों द्वारा निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसको कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

10. दंगे के विरुद्ध प्राण रहित साधनों का प्रयोग करनेवाले बल की निगरानी व मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हेलिकोप्टर के प्रयोग के बारे में आकलन करना चाहिए।

अधिकारियों व मोटर वाहनों पर हमला करनेवालों के विरुद्ध की जानेवाली कार्रवाई—

हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों व विशिष्ट व्यक्तियों के भम्रण के दौरान उनकी गाड़ियों पर हिसंक भीड़ द्वारा हमला करने के दृष्टांत प्रकाश में आए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है :—

1. संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले से स्थानीय अधिकारियों (क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी) को विशिष्ट व्यक्तियों, सिविल/पुलिस/ अर्ध सैनिक अधिकारियों के आगमन के बारे में सूचना दे देनी चाहिए।

2. थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल को नियुक्त करने से पूर्व स्पष्ट निर्देश दे देने चाहिए।

3. ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब किसी अधिकारी या उसकी गाड़ियों के काफिले या उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते हैं तो अधिकारी/ वाहनों के काफिले/ वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन/पुलिस पिकेट/सुरक्षा बल के कैंप पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जिससे नागरिकों को होने वाली क्षति व विशिष्ट व्यक्ति/ अधिकारी को होने वाली संभावित क्षति व गाड़ियों को होनेवाले नुकसान से बचाया जा सके। ऐसे समय में उस स्थान को खाली करने व सहायता का कार्य वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें विशिष्ट व्यक्ति/ अधिकारी को वहां से निकालने का व चोट लगने की दशा

में निकट के अस्पताल में ले जाना भी सम्मिलित है। विशिष्ट व्यक्ति या अधिकारी के साथ में नियुक्त पुलिस पार्टी के प्रभारी के पास संबंधित पुलिस स्टेशन या नजदीक के पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का टेलीफोन नंबर होना चाहिए जो कारों के काफिले को उस उपद्रवग्रस्त क्षेत्र से निकालने में तत्काल सहायता प्रदान कर सकता है।

4. अधिकारियों को कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में कारों के लंबे काफिले के साथ घूमने से बचना चाहिए और अपने साथ आवश्यक रूप से दंगा नियंत्रण बल व संसाधन ले जाने चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, जो सशस्त्र होते हैं, को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि वह अवैधानिक जनसमूह के संपर्क में न आएं न ही उसको नियंत्रित करने का कार्य करें। उनको यह समझाया जाए कि वह केवल आत्मरक्षा में तब गोली चला सकते हैं जब विशिष्ट व्यक्ति/ अधिकारी या स्वयं सुरक्षा अधिकारी के जीवन को तत्काल खतरा हो।

5. विशिष्ट व्यक्तियों/सुरक्षा प्रदत्त अधिकारियों के एस्कोर्ट वाहन को अपने साथ कुछ प्राणघातक रहित शस्त्रों को ले जाना चाहिए जिससे यदि विशिष्ट व्यक्तियों/ सुरक्षा प्रदत्त अधिकारियों को अवैधानिक जनसमूह का सामना करना पड़े तो जब तक और पुलिस बल वहां पहुंचे उन प्राणघातक रहित शस्त्रों का प्रयोग किया जा सके।

6. यदि वहां से तत्काल निकलना संभव न हो तो दंगाइयों को व्यस्त रखा जाए जब तक और पुलिस बल न आ जाए। पुलिस कन्ट्रोल रूम/पुलिस स्टेशन/ पुलिस पिकेट को बिना समय गंवाए संपर्क करना चाहिए।

7. अधिकारियों की कारों के काफिले/ गाड़ी में चिकित्सा/ प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

सरकारी व पुलिस भवनों पर हमले के संबंध में की जानेवाली कार्रवाई

1. कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटते समय पुलिस के भवनों को बिना देखरेख के न छोड़ा जाए। सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बिना अवरोध के निरंतर संचार व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

2. अवैधानिक जनसमूह द्वारा सरकारी/ पुलिस भवनों पर हमला करने की स्थिति में इन भवनों की सुरक्षा के लिए आकस्मिक योजना स्थानीय स्तर तैयार कर लेनी चाहिए। इस योजना में पुलिस बल की उन इकाइयों व उनके स्थान को चिह्नित कर लेना चाहिए जहां से अतिरिक्त पुलिस बल को किसी विशेष भवन की सुरक्षा के लिए पहुंचना है। सभी पुलिसजनों को यह बता देना चाहिए कि उन्हें क्या भूमिका निभानी है और उनके कर्तव्य क्या हैं। इस योजना को सही रूप से लागू करने के लिए उचित संचार व्यवस्था की आवश्यकता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. ज्योंही अवैधानिक जनसमूह हिंसा की प्रवृत्ति करता है तो वहां नियुक्त पुलिस बल को उस क्षेत्र में स्थित सरकारी भवनों को अपनी सुरक्षा के अंतर्गत ले लेना चाहिए और उन भवनों में मौजूद लोगों को किसी सुरक्षित मार्ग से निकाल कर भवनों को खाली करवा देना चाहिए।

4. यदि हिंसक जनसमूह किसी सरकारी भवन को अपना निशाना बनाता है तो उनको तितर-बितर करने के लिए कम से कम बल प्रयोग किया जाए जिससे सरकारी संपत्ति को बचाया जा सके।

5. अग्निशमन वाहनों को प्रभावित भवनों की ओर जाने की सुविधा दी जानी चाहिए।

6. जब कभी किसी स्थान पर आग लगाने की आशंका हो या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की पूर्व सूचना हो तो नियुक्त पुलिस बल को अग्निशमन के टैंकर्स की मांग करनी चाहिए। इसके लिए अग्निशमन विभाग से पूर्व में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

7. पुलिस थानों के भवनों पर उचित स्थायी गार्ड नियुक्त किए जाने चाहिए और गार्ड की सहायता के लिए संसाधनों से युक्त दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस बल भी रखा जाना चाहिए।

महिलाओं व बच्चों द्वारा कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने पर की जानेवाली कार्रवाई

1. महिलाओं व बच्चों की अवैधानिक भीड़ के साथ धैर्य व संवेदनशीलता से व्यवहार करने की आवश्यकता है।

2. आंदोलन करनेवाली महिलाओं व बच्चों के साथ केवल महिला पुलिस द्वारा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। महिला आंदोलनकारियों को सामान्यतः समझा कर तितर-बितर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि समझाने का उपाय विफल हो जाए तब पानी की बौछार व टियर गैस का प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. बल प्रयोग की मात्रा का अनुपात भीड़ की प्रतिक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।

4. पानी की बौछार व पोली कारबोनेट लाठी जैसे उपायों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

दंगा नियंत्रण के बाद की कार्रवाई

बल के प्रभारी अधिकारी को दंगा नियंत्रण की कार्रवाई के बाद दिन के अंत में बल से पुनः बातचीत करके यह जानकारी लेनी चाहिए कि क्या सबक सीखने को मिला और यदि कोई कमी बल के कार्य में पाई जाए तो उसके संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

1. पुलिसजनों के कल्याण के बारे में भी जानकारी ली जाए।

2. पुलिस बल के प्रभारी को पुलिस बल के हटाने की योजना बनानी होती है और बल को एक योजना के अंतर्गत कई भागों में हटाया जाना चाहिए। यह देखने में आया है कि बल के हटाए जाने के समय भीड़ पुलिस बल पर हमला कर देती है। पुलिस बल को हटाते समय पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे उस समय जनता के साथ विवाद न होने पाए।

3. नियुक्त बल के प्रभारी अधिकारी को चलाए गए कारतूसों का पूरा विवरण रखना चाहिए और जनपद के सशस्त्र रिजर्व बल के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक को एक एकीकृत विवरण चलाए गए कारतूसों का तैयार करना चाहिए।

भीड़ के नियंत्रण के प्राणघातक रहित उपायों (Non-Lethal measures) की सूची

1. **वाटर कैनन** एक ऐसा साधन जिससे अधिक दबाव वाली पानी की धार को भीड़ पर लगातार फेंका जा सकता है। यह खुले स्थान पर अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह पतली गलियों में नहीं ले जाया जा सकता है। इसके प्रयोग से किसी को चोट नहीं पहुंचती है।

2. **टियर गैस शैल** के प्रयोग से भीड़ में सम्मिलित लोगों के आंसू निकलते हैं और आंखों में चुभन होती है तथा इससे प्रभावित होकर व्यक्ति बचने के लिए भाग जाने के लिए विवश हो जाता है।

3. **डाई मार्कर ग्रेनेड** के प्रयोग से उसकी स्याही भीड़ में सम्मिलित लोगों के कपड़ों पर फैलकर लग जाती है और इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों पर पड़ता है कि स्याही लगने से उनकी पहचान हो जाएगी और वह डर कर व भ्रमित होकर वहां से इधर-उधर दौड़ने लगते। यह एक उपयोगी उपाय है और इससे किसी को कोई क्षति नहीं होती है।

4. **प्लास्टिक बुलैट्स** प्लास्टिक की बनी होती हैं और इनका प्रयोग भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किया जाता है। यह बुलैट्स प्रयोग में लाई जानेवाली रायफल से चलाई जा सकती हैं और इनकी प्रभावकारी रेंज पचास मीटर की है। इनका प्रयोग सेमी आटोमैटिक तरीके से किया जाना चाहिए। इनका प्रयोग भीड़ पर निकट से नहीं करना चाहिए।

5. **पिपरबाल लाउंचर्स** इन पिपर बाल्स में मिर्च का पाउडर भरा होता है जिससे भीड़ में सम्मिलित लोगों के संपर्क में आने पर उन्हें परेशानी होती है और वह परेशानी को दूर करने के लिए वहां से हटने को मजबूर हो जाते हैं। भीड़ में बेचैनी उत्पन्न करने के लिए 6 से 10 राउंड चलाए जाने आवश्यक हैं। इसका प्रभावी क्षेत्र लगभग तीस मीटर का है।

6. **लेजर डैजलर्स** एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा फ्लेश लाइट उत्पन्न होती है और उससे भीड़ में सम्मिलित लोगों में बेचैनी उत्पन्न होती है। इसका प्रभावी क्षेत्र पचास मीटर का है।

7. **नेट गन** व्यक्तियों पर नेट फेंकती है। यह गन एक समय में एक व्यक्ति को अपने जाल में ले सकती है और यदि इसका प्रभावशाली उपयोग करना हो तो इसका नेट का क्षेत्र बढ़ाना होगा जिससे यह 5-6 लोगों को अपने जाल में ले सके।

8. **स्टिंक बंब** में दुर्गंधयुक्त केमिकल होता है और भीड़ पर इसका प्रयोग लोगों को दुर्गंध से बचने के लिए उस क्षेत्र को छोड़ने के विवश कर देता है।

9. **स्टिंग ग्रेनेड** के पैलेट्स (छर्रे) तीस फिट से अधिक दूरी पर नहीं जाते हैं व रबर बुलेट से अधिक हानि नहीं पहुंचाते हैं।

भीड़ नियंत्रण के उक्त संसाधनों की प्राप्ति का स्थान

टियर गैस शैल, स्टिंगर, डाई मार्कर ग्रेनेड व प्लास्टिक बुलेट्स ट्रेनिंग स्कूल बी.एस.एफ. टेकनपुर से प्राप्त किए जा सकते हैं।

वी.आई.पी. संस्कृति में पुलिस की भूमिका

डा. सुरेंद्र कटारिया
81/91, मानसरोवर, जयपुर-302020

मानव समाज के रहन-सहन, संस्कृति तथा जीवन-मूल्यों में समानता और स्वतंत्रता का अहम स्थान है लेकिन सच्चाई यह है कि तमाम प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी 'समानता' की स्थापना एक दार्शनिक विचार अधिक और व्यावहारिक क्रियान्वयन कम दिखाई देता है। इसी का परिणाम है वी.आई.पी. संस्कृति, जो मानव समाज में व्यक्तियों में भारी भेद करती है तथा पुलिस के कार्यों में अनावश्यक वृद्धि एवं तनाव उत्पन्न करती है।

विशालकाय बंगले, सरकारी नौकरों का ताम-झाम, गाड़ियों एवं सुरक्षाकर्मियों की रेलम-पेल, लाल बत्ती के साथ चलता काफिला, हर जगह साथ चलती चाटुकारों की मंडली, जनता से उठकर विशिष्ट बनने तथा सत्ता के गलियारों में भटकने का मोह और झूठे वायदों एवं भ्रष्टाचार से भरी यह अजीब-सी संस्कृति किसी भी लोकतांत्रिक देश के आमजन का अपमान तो करती ही है किंतु पुलिसकर्मियों तथा सुरक्षा तंत्र के लिए अनावश्यक बोझ, तनाव और भारी व्यय को भी बढ़ावा देती है। पुलिस को वी.आई.पी. सुरक्षा के नाम पर वह सब करना होता है जो वास्तव में उसका मूल दायित्व नहीं है।

वी.आई.पी. सुरक्षा

वी.आई.पी. उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो पद, सत्ता, प्रभाव तथा संपत्ति में आम व्यक्ति की तुलना में उच्च प्रस्थिति प्राप्त होते हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक एवं कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित यह शब्दावली भारत में ब्रिटिश शासकों की देन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में ब्रिटिश सेना के साथ जहाज को कुछ व्यक्तियों को मध्य पूर्व की ओर ले जाना था। इस जहाज में लॉर्ड माउंटबेटन जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भी सवार थे। पहचान गुप्त बनाए रखने के लिए स्टेशन कमाण्डर को संक्षिप्त में (वी.आई.पी) नामक कोड दिया गया था जिसका अर्थ 'अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति' ही था। शीघ्र ही स्वतंत्र भारत के हुकमरानों ने इसे लपककर स्वीकार कर लिया तथा सरकारी दस्तावेजों एवं वाहनों तक पर इस शब्दावली को लिखा जाने लगा और देश में एक वी.आई.पी. संस्कृति ही विकसित हो गई। जब वी.आई.पी. की संख्या बढ़ने लगी तो इनमें भी कई स्तर होने लगे तथा (वी.वी.आई.पी), अति-अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (वी.आई.पी) जैसे शब्द आ गये हैं।

अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी जानेवाली सुरक्षा, 'वी.आई.पी. सुरक्षा' कहलाती है। भारत में इसकी कई श्रेणियां : 'जेड प्लस', 'जेड', 'वाई' तथा 'एक्स' बनी हुई हैं। अमेरिका तथा ब्रिटेन सहित अधिकांश विकसित देशों में केवल संवैधानिक प्रमुखों को ही सरकार सुरक्षा घेरा उपलब्ध कराती है जबकि भारत में हजारों लोगों को विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा प्राप्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, यह निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति की सुरक्षा को कितना खतरा है तथा उसे कैसी सुरक्षा प्रदान की जानी है। इस प्रकार के नियम निर्धारित नियमावली में वर्णित रहते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् विकसित हुई वी.आई.पी. संस्कृति के कारण सुरक्षा घेरा आवश्यकता तथा प्रतिष्ठा-प्रतीक अधिक बन गया है।

सन 2013 की स्थिति के अनुसार वी.आई.पी. सुरक्षा श्रेणियां इस प्रकार हैं—

1. **विशेष सुरक्षा दल** (एस.सी.एफ) राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा संभावित खतरों से घिरे अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति।

2. **जेड प्लस** राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा अन्य

सुरक्षाकर्मी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केबिनेट मंत्री, कार्यरत एवं पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, महत्त्वपूर्ण राजनेता एवं कुछ अधिकारीगण।

3. जेड सुरक्षा कार्मिक (सी.आर.पी.एफ. तथा आई.टी.बी.पी. के)।

4. वाई सुरक्षाकर्मी।

5. एक्स सुरक्षाकर्मी।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की एक गणना के अनुसार सन 2013 में देश में 17000 लोगों के लिए लगभग 50,000 सुरक्षाकर्मी इस प्रयोजन में लगे थे। केवल दिल्ली में ही 427 वी.आई.पी. हेतु 5183 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। दिल्ली में इस सुरक्षा हेतु एक वर्ष का व्यय 341 करोड़ रुपये था जिसमें 40 करोड़ रुपये तो केवल राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा पर व्यय हुए थे।

उत्तर प्रदेश में 1500 वी.आई.पी. व्यक्तियों हेतु 2013 पुलिसकर्मी नियुक्त थे तथा 120 करोड़ रुपये सुरक्षा पर व्यय हो रहे थे। देश में उच्च स्तरीय 'जेड प्लस' सुरक्षा 250 व्यक्तियों को मिली हुई थी।

लाल बत्ती से मोह

महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों तथा आपातकालीन सेवाएं देनेवाले वाहनों की छत पर निर्धारित रंग की टॉप लाइटें होती हैं जिन्हें केवल अधिकृत वाहन ही प्रयुक्त कर सकते हैं। अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी) के वाहनों पर लाल फ्लैश करती लाईट होती है। इस संबंध में नियम राज्य सरकार बनाती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने से पूर्व स्थिति यह थी—

1. **कौन लगा सकता है लाल बत्ती**—राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष नेता, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, राज्यमंत्री, उपमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्री या राज्यमंत्री के स्तर के दर्जे के लिए अधिसूचित उच्च पदस्थगण, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य एडवोकेट जनरल, सभी प्रमुख शासन सचिव, पुलिस महानिदेशक, संभागीय आयुक्त, रेंज प्रभारी, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक राज्य के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक, सभी जिला व सेशंस न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, नगर निगम के महापौर, सभी जिला प्रमुख पीएससी अध्यक्ष।

2. **नीली बत्ती के लिए अधिकृत रहे**—जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, आबकारी व परिवहन विभाग के गश्ती वाहन।

3. **बैंगनी रंग के कांच से ढकी लाल बत्ती वाली एम्बुलैंस**—चिकित्सा विभाग, नागरिक सुरक्षा के लिए, रेडक्रास।

क्या हैं नियम—

• लाल अथवा नीली बत्ती लगे वाहनों में वह अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं बैठा हो, तो वाहन को काम में लेने से पूर्व बत्ती को ढका जाए।

• अनधिकृत रूप से बत्तियों के उपयोग के पहली बार अपराध पर 100 रुपये तथा बाद में 300 रुपये का जुर्माना।

• सीसीए नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विभागाध्यक्ष को अनुशंसा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात यह सूची सीमित करने की कवायद जारी है। राजस्थान में 13 व्यक्तियों यथा—राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मंत्रिपरिषद् के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग तथा महाधिवक्ता तक यह सुविधा सीमित कर दी गई है।

भारी भरकम सुविधाएं

यद्यपि भारत में सांसदों एवं विधायकों को भारी वेतन नहीं मिलता है किंतु भत्ते एवं सुविधाएं एकसाथ विश्लेषित की जाएं तो यह काफी अधिक दिखाई देगा।

वैसे भारतीय संसद विगत 35 वर्षों में 61 बार सांसदों का वेतन बढ़ा चुकी है। अकेले सन् 2010 में सांसदों का वेतन तीन गुणा बढ़ा था। सन 2013 में स्थिति इस प्रकार थी—

सांसदों के देय वेतन भत्ते	अन्य सुविधाएं
• वेतन 50,000 रुपये मासिक	• फर्नीचर हेतु 60,000 रुपये वार्षिक
• दैनिक भत्ता 2,000 प्रतिदिन सत्रों में	• निःशुल्क पानी 4 हजार किलोलीटर
• कार्यालय भत्ता 45,000 रुपये मासिक	• 3 टेलीफोन फोन तक हरेक पर 50 हजार काल मुफ्त
• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये मासिक	• रेलवे यात्रा प्रथम श्रेणी का पास
	• विद्युत 50 हजार यूनिट प्रतिवर्ष निशुल्क

इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास तथा स्टाफ सुविधाएं पृथक से देय हैं। निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाने हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये सांसद क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एमपी लैड के भी देय होते हैं जिनके माध्यम से वे इच्छुक कार्य स्वीकृत कर सकते हैं।

ऐसी ही स्थिति राज्य सरकारों में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री तक मंत्रियों को देय सुविधाएँ इस प्रकार हैं–

मंत्रियों पर होनेवाला खर्च राजस्थान

	मुख्यमंत्री	मंत्री
वेतन भत्ते	70,000 रुपये	60,000 रुपये कैबिनेट मंत्री 57,000 रुपये राज्य मंत्री
कार के लिए पेट्रोल	7,000 लीटर वार्षिक	4,000 लीटर वार्षिक
बंगला	5 लाख रुपये माह	4 लाख रुपये माह किराये बाजार दर से
फर्नीचर	5 लाख रुपये सालाना	4 लाख रुपये सालाना
बिजली	60 हजार यूनिट फ्री	35 हजार यूनिट फ्री सालाना
पानी	90 लाख लीटर फ्री	60 लाख लीटर फ्री
मेडिकल	सभी इलाज के लिए फ्री	सभी तरह के इलाज फ्री
टीए	पूरा पैसा वापस	पूरा खर्चा वापस
डीए	3.05 लाख रुपये सालाना	3.05 लाख रुपये सालाना
टेलीफोन	अनलिमिटेड काल्स	10 हजार काल्स फ्री हर माह
निजी स्टाफ व सुरक्षा	10 लाख रुपये माह	5 लाख रुपये माह
कुल	**20 लाख रुपए माह**	**12.50 लाख रुपए माह**

समस्या यह है कि प्रशासनिक नियम सर्वथा अतार्किक तथा जटिल हैं। उदाहरण के लिए कोई मंत्री यदि स्वयं के घर में रहना चाहे तो उसे मात्र 3000 हजार रुपये भत्ते के मिलेंगे। ऐसे में कोई भी मंत्री विशालकाय सरकारी बंगला लेना ही पसंद करता है। जयपुर में सिविल लाइंस में स्थित सरकारी बंगलों की कीमत प्रति बंगला 500 करोड़ रुपये बताई जाती है।

सन 2013 से बदली फिजां

भारत जैसी विकासशील और विषमताओं से भरपूर सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक चेतना की उल्लेखनीय विद्यमानता है और इसी का परिणाम है कि शासन-प्रशासन में दृष्टव्य ब्रिटिश परंपराओं के विरुद्ध भारी जनाक्रोश सामने आ रहा है। वैश्वीकरण की लहर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रकार से सारा संसार सिमटकर एक वैश्वीकरण गांव में परिवर्तित हो रहा है और इसी क्रम में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तथा वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उनके पद से संबंधित कई परंपराओं को ध्वस्त कर दिया जिनमें राष्ट्रपति को 'महामहिम' के नाम से संबोधित करने के बजाय 'मिस्टर प्रेसिडेंट' कहलवाना भी सम्मिलित है। ऐसी ही पहल कई न्यायाधीशों ने भी की है जो 'माई लॉर्ड' संबोधन के विरुद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में पहने जानेवाले 'अकादमिक गाउन' को ब्रिटिश विरासत मानते हुए नकारा है।

इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय का 10 दिसंबर, 2013 वह निर्णय बहुत निर्णायक मोड़ है जिसमें कहा गया कि वाहनों पर 'लाल बत्ती' लगाने की परंपरा का पुनः मूल्यांकन किया जाए तथा संवैधानिक पदों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जैसे सांसद, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपने वाहनों पर 'लाल बत्ती' नहीं लगाएं।

वी.आई.पी. सुरक्षा तथा इस संस्कृति के विरुद्ध एक उल्लेखनीय वातावरण दिसंबर 2013 से बनने लगा। हुआ यूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, 'आप' ने चुनाव घोषणा-पत्र में सत्ता में आने पर वी.आई.पी. संस्कृति नहीं अपनाने का वायदा किया तथा इस एक वर्षीय पार्टी को आशातीत सफलता भी मिली। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 'आप' ने बंगले, गाड़ी, लाल बत्ती तथा वी.आई.पी. सुरक्षा लेने से मना कर दिया। परिणाम यह निकला कि राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे ने भी अपना सुरक्षा घेरा आधा कर दिया और उनका काफिला जयपुर की रेड लाइटों पर रुकने लगा तथा वी.आई.पी. मूवमेंट से जनता की परेशानियां कम हुईं।

राज्य के मुख्यमंत्री के सुरक्षा काफिले में कारों की संख्या 13 से घटाकर 5 कर दी गई। आगे की 'वार्निंग कार' तथा पीछे की 'टेल कार' भी हटा दी गई। राज्य के विधायकों के 'गनमैन' हटा दिए गए। इसी तरह वसुंधरा राजे ने यह भी निर्णय लिया कि राजकीय विशेष विमान से यात्रा करने के बजाय नियमित फ्लाईट से हवाई यात्रा करेंगी। जयपुर से दिल्ली तक सरकारी विशेष विभाग का खर्चा 65.70 हजार रुपये होता है जबकि नियमित विमान से यही खर्चा एक व्यक्ति हेतु 10 हजार रुपये से भी कम हो सकता है।

समीक्षा

ऐसा नहीं है कि वी.आई.पी. सुरक्षा के विरुद्ध विरोध के स्वर अभी उठे हैं या राजनेता सादगी बरतने को विवश हो चुके हैं। साठ-सत्तर के दशक में लाल बहादुर शास्त्री की सादगी बहुचर्चित रही है। आज के दौर में भी गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, त्रिपुरा के मणिक सरकार तथा पुदुचेरि के एन. रंगास्वामी अपनी सादगीपूर्ण राजकीय जीवनशैली एवं मितव्ययता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह सही है कि आतंकवादी, नक्सलवादी तथा चरमपंथी घटनाओं के कारण राजनेताओं एवं नीति निर्माताओं

की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा भी बनी हुई है। इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की हत्या इसका प्रमाण है। सादगी के नाम पर राजनेताओं द्वारा पूरी तरह सुरक्षा घेरा हटाना या भीड़ में चले जाना अपने आप में पुलिस के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि कोई भी अनहोनी होने पर बदनामी तो उस क्षेत्र की पुलिस को ही झेलनी पड़ेगी अतः इस दिशा में युक्तिसंगत, तार्किक एवं संतुलित नीति अपनाई जानी जरूरी है।

वी.आई.पी. संस्कृति पर चोट करने तथा संपूर्ण शासन-प्रशासन तंत्र को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सर्वप्रथम शहरों की सिविल लाइंस स्थित विशाल बंगलों को ध्वस्त करके तर्कसंगत आवास बनाने होंगे ताकि उनकी सुरक्षा भी ढंग से हो सके तथा सेवकों की भारी भीड़ भी कम हो। संसद तथा विधानसभा के सत्र सुचारु ढंग से चलाने होंगे तथा लाल बत्ती का मोह छोड़कर आम व्यक्ति की पंक्ति में सभी सत्ताधारियों को भी आना होगा। वी.आई.पी. लाज, विशेष सूइट (कक्ष), वी.आई.पी. पास तथा सुविधाएं भी समाप्त करनी होंगी। पुलिस को उसके मूल कार्य में स्वायत्तता देनी होगी तथा भारतीय लोकतंत्र सुदृढ़ होगा।

क्रेडिट-डेबिट कार्ड क्लोनिंग से बढ़ती धोखाधड़ी : समस्या एवं समाधान

अरुण कुमार पाठक
द्वारा चक्रपाणि मणियार, 113/4, शिवकुटी
(अपट्रान टी.वी. फैक्ट्री के पीछे), इलाहाबाद (उ.प्र.)

विगत 09-10 वर्षों में बैंक के ग्राहकों की संख्या व कारोबार में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। बैंकों के कामकाज को सुगम व सरल बनाने तथा ग्राहकों को भी त्वरित बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु लगभग 10 वर्ष पूर्व इंटरनेट बैंकिंग का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। भारत सरकार ने भी सूचना-प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई-गवर्नेंस व ई-कॉमर्स में व्यापक रूप से किए जाने हेतु नीतियां व नियम बनाए। ग्राहकों, व्यापारियों व व्यापारिक फर्मों को लेन-देन सुगम बनाने के लिए बैंकों ने क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड जारी किए। इस समय भारत में लगभग 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारक तथा 29.5 करोड़ डेबिट कार्ड धारक हैं। मोबाइल और ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रचलन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों ने कार्ड व्यवसाय को अधिक गति प्रदान की है और ग्राहकों के लिए कार्ड के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी, किसी भी समय पैसा निकालना, शापिंग करना, होटलों में पेमेंट करना आसान हो गया है।

जिस गति से क्रेडिट-डेबिट कार्डों की संख्या बढ़ रही है, उसी गति से उसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। इंटरनेट के जानकार अपराधियों ने इन डेबिट-क्रेडिट कार्डों का क्लोन तैयार कर धोखाधड़ी शुरू कर दी है तथा एक नए प्रकार के साइबर अपराध को जन्म दिया है। आज से 08 वर्ष पूर्व क्रेडिट कार्ड से क्लोनिंग करके धोखाधड़ी करने का पहला मामला अमेरिका में प्रकाश में आया था। अमेरिका में टी.जे.एक्स. कंपनी के अल्बर्ट गोंजलेज ने 45.6 लाख ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड के आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया और कुछ बड़े ग्राहकों के कार्ड का क्लोन तैयार कर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की। वर्ष 2009 में अल्बर्ट गोंजलेज दुबारा 130 लाख क्रेडिट एवं डेबिट कार्डों की सूचनाएं (आंकड़े) इकट्ठा कर लेने व करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी में पकड़ा गया। वर्ष 2006 में यूनाइटेड किंग्डम में क्रेडिट कार्डों की क्लोनिंग करके 535 मिलियन पौण्ड की धोखाधड़ी की गई। विकसित देशों में कार्ड क्लोनिंग से धोखाधड़ी की यह प्रवृत्ति भारत में भी साइबर अपराधियों के पास पहुंच गई। भारत में अभी कुछ माह पूर्व चेन्नई में कार्ड क्लोनिंग करके धोखाधड़ी करनेवाला एक गिरोह पकड़ा गया है। इस गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार करके पुलिस ने लगभग 600 क्लोंड क्रेडिट-डेबिट कार्ड बरामद किए। इस गिरोह ने 1500 क्लोंड क्रेडिट-डेबिट कार्ड तैयार करके उनसे लाखों रुपयों की धोखाधड़ी की बात स्वीकार की है।

बैंकों में तथा पुलिस स्टेशन में कई बार क्रेडिट-डेबिट कार्ड धारक आकर शिकायत करते हैं कि अमुक तिथि को अमुक स्थान से उसने कोई धनराशि आहरित नहीं की है जबकि उसके खाते से रुपये निकल गए हैं। बैंक भी तत्काल इस समस्या का कोई समाधान नहीं बता पाता है। वह ग्राहक की शिकायत की जांच कराता है क्योंकि एक बारगी बैंक को भी यह तय करना कठिन होता है, कि कोई कार्ड क्लोन किया गया है या नहीं लेकिन क्लोनिंग होने का पक्का पता बैंक को तब चल जाता है जब बहुत कम ही समयांतराल (एकाध घंटे में) में उस कार्ड से दो अलग-अलग स्थानों जैसे—वाराणसी और मुंबई में धनराशि आहरित की गई हो। तब बैंक यह विश्वास करता है कि कार्ड की क्लोनिंग की गई है।

कार्ड क्लोनिंग है क्या?

जैसा कि हम 'क्लोन' शब्द के अर्थ से पूर्व से वाकिफ हैं और जानते-समझते हैं कि "किसी चीज का हू-ब-हू प्रतिरूप तैयार करना उसका क्लोन कहलाता है।" इसी प्रकार 'कार्ड क्लोनिंग' वह प्रक्रिया है जिसमें असली बैंक कार्ड (क्रेडिट या डेबिट कार्ड) की मैग्नेटिक स्ट्रिप (चुम्बकीय पट्टी) को कापी कर डुप्लीकेट कार्ड में दर्ज कर दिया जाता है। कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप की कापी करने की इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में सामान्य रूप से स्किमिंग (Skimming) कहा जाता है। इसमें कार्ड को स्किमिंग उपकरण पर स्वाइप किया जाता है। यह उपकरण सेल्स आफ पाइंट पर स्वाइप करने हेतु उपलब्ध स्किमिंग उपकरण के समान होता है। स्वाइप करने पर कार्ड संबंधी सूचनाएं स्किमिंग उपकरण में दर्ज (स्टोर) हो जाती हैं और फिर उसे दूसरे नकली कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप पर दर्ज कर लिया जाता है। इस प्रकार असली कार्ड की सारी सूचनाएं नकली कार्ड पर आ जाती हैं और यह कार्ड भी असली क्रेडिट-डेबिट कार्ड की तरह काम करने लगता है जबकि वास्तव में यह क्लोन कार्ड होता है। प्वाइंट आफ सेल पर उपलब्ध स्किमिंग उपकरण एवं ए.टी.एम. (A.T.M) मशीनें असली कार्ड एवं क्लोंड कार्ड में अंतर को पकड़ पाने में असमर्थ होती हैं क्योंकि दोनों कार्डों की मैग्नेटिक स्ट्रिप पर उपलब्ध सूचनाएं एक समान (हू-ब-हू) होती हैं। यदि क्लोन कार्ड तैयार करनेवाला व्यक्ति (क्लोन कार्ड का धारक) असली ग्राहक का पिन (PIN) भी प्राप्त करने में सफल हो जाए तो वह क्लोन कार्ड से ए.टी.एम. मशीन से नकदी आहरण कर सकता है।

इस प्रकार मैग्नेटिक स्ट्रिप (चुम्बकीय पट्टी) वाले किसी भी कार्ड को क्लोन किया जा सकता है, चाहे वह क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो अथवा सामान्य ए.टी.एम. कार्ड हो, किंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्ड विशेष की प्रोसेसिंग प्रक्रिया क्या है? कार्ड चुराने या क्लोन करनेवाला व्यक्ति आपके पिन (PIN) को जाने बगैर न तो खरीददारी कर सकता है, न पैसे निकाल सकता है और न ही किसी होटल, पेट्रोल पंप, शापिंग माल में पेमेंट ही कर सकता है।

धोखेबाज कैसे करते हैं धोखेबाजी?

धोखेबाज तीन तरीके से आपके कार्ड की क्लोनिंग करके पिन (PIN) हासिल करके धनराशि का आहरण करता है—

1. कार्ड स्किमिंग उपकरण को ए.टी.एम. कार्ड रीडर पर लगा दिया जाता है जो ए.टी.एम./ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड की सूचना को स्वाइप कर मैग्नेटिक स्ट्रिप पर दर्ज सूचना को कापी कर लेता है। इस स्किमिंग उपकरण के साथ एक छोटा कैमरा एवं रिकार्डिंग उपकरण भी होता है जो ए.टी.एम. की-पैड (कुंजी पटल) पर आपके द्वारा दर्ज की जा रही पिन (PIN) को रिकार्ड कर लेता है।

2. होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या अन्य बड़ी दुकानों पर टेलर या वेटर द्वारा भुगतान हेतु स्किमिंग उपकरण पर कार्ड को स्वाइप के दौरान भी कार्ड की क्लोनिंग कर ली जाती है।

3. विश्वसनीय, परिचित किंतु चालबाज व्यक्ति कार्ड धारक से कार्ड सत्यापित करने के नाम पर या अन्य किसी बहाने से कार्ड प्राप्त कर कार्ड को स्वाइप कर लेता है।

क्लोनिंग कब-कब हो जाती है?

इतना तो सत्य है कि क्लोनिंग का अवसर धोखेबाज को हमारी-आपकी लापरवाही से ही मिलता है। यह निम्न समय पर अक्सर होती है—

1. जब कोई अनजान व्यक्ति कार्ड-धारक के पास आकर कार्ड से संबंधित कोई जानकारी लेता है। उसके तुरंत बाद ही वह धोखाधड़ी से आहरण करता है।

2. धोखाधड़ी की घटना से तुरंत पहले कार्ड-धारक किसी ऐसे स्टोर में खरीददारी करता है, जो क्लोनिंग की गतिविधि में संलिप्त है।

क्लोनिंग की कुछ विशेषताएं

इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं—

1. कार्ड के क्लोन होने के थोड़ी ही देर में धोखाधड़ी करनेवाले द्वारा अधिकतम धनराशि या पूरी धनराशि निकाल ली जाती है।

2. असली कार्ड खाताधारक के पास रहते हुए भी क्लोन कार्ड से रकम निकाल ली जाती है। निकाली गई राशि एवं तरीका सामान्य तौर पर ग्राहक द्वारा अपनाए गए तरीके से पूरी तरह भिन्न होता है।

3. खरीददारी एवं आहरण ऐसे स्थान से किया जाता है जहां ग्राहक कभी न गया हो।

कार्ड को क्लोनिंग/ धोखाधड़ी से बचाने के उपाय—

इसके लिए कार्ड जारी करनेवाली संस्थाओं को निम्न उपाय करने होंगे—

1. धोखाधड़ी की छानबीन एवं रोकथाम का सॉफ्टवेयर लगाना, जो ग्राहक के सामान्य एवं असामान्य व्यवहार का विश्लेषण करने में समर्थ हो एवं संभावित धोखाधड़ी से बचने के लिए लेन-देन पर नजर रखे।

2. सत्यापन हेतु कार्ड धारक से संपर्क करवाना तथा कार्डधारक द्वारा सत्यापन न किए जाने तक कार्ड को ब्लॉक रखना।

3. कार्ड से लेन-देन के सुदृढ़ अधिप्रमाणन संबंधी सख्त उपाय, जैसे कि—कार्ड-धारक से खाता नंबर, पिन, जिप नंबर, व्यक्तिगत प्रश्न आदि पूछना तथा इस तथ्य का सत्यापन करना कि लेन-देन कार्ड धारक द्वारा ही किया गया है। इसकी पुष्टि टेक्स्ट संदेश, फोन कॉल या सुरक्षा टोकन उपकरण जैसे परिचित या विश्वसनीय माध्यमों से अवश्य ही की जाए।

4. सभी ज्ञात एवं संभावित धोखेबाजों के बारे में सभी बैंकों, उद्योगों व पुलिस संगठनों को अवगत करा दिया जाए।

व्यापारियों द्वारा क्लोनिंग/धोखाधड़ी से बचने हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए—

1. टोकन द्वारा सुरक्षा के माध्यम से कम्प्यूटर पर पूर्ण नंबर नहीं दर्शाने की व्यवस्था।

2. अतिरिक्त सूचनाओं को देने का अनुरोध, जैसे पिन नंबर, जिप नंबर, अन्य कोई सुरक्षा कोड आदि।

सरकार एवं अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा निम्न उपाय किए जाने चाहिए—

1. कार्ड क्लोनिंग/धोखाधड़ी से ग्राहक को बचाने हेतु सशक्त कानून-व्यवस्था/साइबर एक्ट में कार्ड क्लोनिंग के अपराध हेतु सुसंगत प्रावधान व दंड।

2. क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कार्यप्रणाली एवं जोखिम क्षमताओं का नियमित निरीक्षण।

3. कार्ड धारकों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों का प्रकाशन, उनका व्यापक प्रचार-प्रसार एवं धोखाधड़ी की गतिविधियों की निगरानी।

4. कार्ड की वर्तमान मैग्नेटिक टेप की व्यवस्था को बदलते हुए ऐसी चिप तैयार करना, जिसका क्लोन तैयार करना कठिन हो।

कार्ड धारकों द्वारा निम्न उपाय किए जाने चाहिए

1. अपने कार्ड से हुए अनधिकृत लेन-देनों की त्वरित सूचना बैंक को देना।

2. गुम हुए/चोरी हुए कार्ड की तत्काल सूचना बैंक को देना।

3. अपने पर्सनल कम्प्यूटर पर वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर लगाना।

4. आन लाइन खरीददारी, क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करते समय विशेष सावधानी बरतना।

5. अपना खाता नंबर, कार्ड समाप्त होने की तारीख तथा संबंधित कंपनी का फोन नं., ग्राहक सेवा

नंबर, टोल-फ्री नंबर और पता सुरक्षित स्थान पर दर्ज करके रखना।

कार्डों की क्लोनिंग के कारण बैंकों एवं ग्राहकों को हो रहे व्यापक नुकसान से बचाव के लिए विकसित देशों ने स्मार्ट कार्ड तैयार किया है, इस पर मैग्नेटिक स्ट्रिप की जगह स्मार्ट चिप लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कार्डों पर आईरिस कोड, बायोमेट्रिक चिप, फिंगर प्रिंट स्कैन सिस्टम लगाया जा सकता है। इसके साथ ही हर लेन-देन के लिए अलग-अलग पिन की भी जरूरत हो सकती है। स्मार्ट कार्ड भी क्लोनिंग से अछूता नहीं है, पर इसकी क्लोनिंग महंगी और कठिन है। इस तरह के क्रेडिट-डेबिट कार्डों के अभी भारत जैसे देशों में आने में चार-पांच वर्ष लग सकते हैं।

भारत में कार्ड क्लोनिंग के अपराध के लिए न तो भा.दं. विधान और न ही आई.टी. एक्ट, 2000 में कोई प्रावधान किया गया है। डाटा संरक्षण के लिए भी कोई नियम/कानून नहीं बनाया गया है। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और शीघ्र ही प्रभावी कानून का निर्माण करना पड़ेगा ताकि कार्ड क्लोनिंग और धोखाधड़ी को कानून के दायरे में लाकर उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। तभी तेजी से बढ़ते-फलते-फूलते इस अपराध की नकेल कसी जा सकेगी।

सांप्रदायिकता और उसे रोकने के उपाय

एस.पी. सिंह
महबुल्ला गंज, कटघर, निकट डिप्टी साहब का अस्पताल, मुरादाबाद (उ.प्र.)

हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं। देश के विभाजन के पश्चात व स्वतंत्रता मिलने के बाद सांप्रदायिक भावनाएं और ज्यादा विकसित एवं मजबूत हुई हैं। जिनके चलते मामूली विवाद या घटना भयंकर दंगे का रूप ले रही है। आजाद भारत में पहला बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा 1961 में जबलपुर में हुआ। इसके बाद सन 1969 में अहमदाबाद, 1979 में जमशेदपुर और अलीगढ़, 1980 में मुरादाबाद, 1984 में सिख दंगे, 1987 में मेरठ, 1989 में भागलपुर, 1992 में मुंबई तथा 2002 में गुजरात में दंगे हुए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2013 में अक्टूबर तक 725 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं, जिनमें 145 लोग मरे और 1978 लोग घायल हुए। सर्वाधिक घटनाएं 250 उत्तर प्रदेश में हुईं, जिनमें 95 लोग मरे और 313 लोग घायल हुए।

दंगे पहले भी होते थे, मगर आज दंगे की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों ही बदल गई हैं। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के पीछे जहां ऐतिहासिक कारण हैं, वहीं राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वजह भी जिम्मेदार है। पूर्व में दंगे सिर्फ शहरों तक सीमित थे लेकिन आज देहाती क्षेत्रों में भी दंगे बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और वहां भी दंगाई हत्या, आगजनी, लूटपाट, अपहरण, धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाते हैं व अपवित्र करते हैं लोग भय से पलायन भी करते हैं, लेकिन देहाती क्षेत्र में लोग दंगे से तभी प्रभावित होते हैं जब ग्रामीण या क्षेत्र के लोग शहर की हिंसा में शिकार होते हैं या शासन या प्रशासन के लोग उनके साथ पक्षपात या भेदभाव की नीति अपनाते हैं, उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करते हैं उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं, उन पर रासुका की कार्रवाई करते हैं तथा मुआवजा देने में भी भेदभाव बरतते हैं।

मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि संभल, जिला मुरादाबाद, (यू.पी.) में सन 1978 में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ। यह दंगा एक संप्रदाय दलके कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम छात्राओं को दूसरे संप्रदाय दल की छात्राओं द्वारा एम.जी.एम. कालेज, संभल के कार्यक्रम में अश्लील टाइटिल देने के विरोध में जबरन बाजार बंद कराने पर शुरू हुआ, जिसमें मारपीट, लूटपाट, पत्थरबाजी, फायरिंग, हत्या, आगजनी हुई।

इस दंगे में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग एक दर्ज किसान जो अपनी राव खंडसारी प्लांट में बेचने संभल आए थे, वह भी शिकार हुए। उसकी प्रतिक्रिया में दंगा संभल के आसपास के गांव में फैल गया, जो शासन और प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बना। उस समय शासन-प्रशासन के लोगों ने ग्राम प्रधानों तथा ग्रामों के प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद से देहाती क्षेत्र में दंगों पर काबू पाया।

सन 2002 में गुजरात में गोधरा कांड में ट्रेन में जिंदा जलाने की प्रतिक्रिया में भीषण दंगे हुए और ग्रमीण क्षेत्रों में भी फैले। इन दंगों में एक दल पार्टी के नेताओं पर दंगों में लिप्तता के आरोप भी लगे। उनमें से कुछ जेल गए और न्यायालय द्वारा दण्डित भी हुए लेकिन उ.प्र. दंगों से यह स्पष्ट हो गया है कि शहरों और देहाती क्षेत्रों की दूरियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। गांव में पहले सामाजिक रिश्ते चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, इतने मजबूत थे कि वह सांप्रदायिक/जातीय हिंसा से मुक्त रहते थे। मगर बदलती हुई परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था ने इस छिपे हुए तनाव को उजागर कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि गांव में आपसी संबंध कमजोर हो रहे हैं और गांव की नई पीढ़ी अब

शहरवासियों से किसी भी रूप में स्वयं को कम नहीं समझती है और अब शासन या प्रशासन को यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि गांव अब दंगाप्रूफ है, वहां पर दंगा नहीं हो सकता है।

मुजफ्फरनगर दंगों की शुरुआत उस जिले के गांव कवाल में छेड़छाड़ की मामूली घटना को लेकर हुई। दिनांक 27.08.2013 को दो समुदायों के बीच संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई और एक वाहन को भी आग लगा दी गई। इसके बाद मुजफ्फरनगर पूरी तरह अराजकता के हवाले रहा। दो युवकों के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तथा फर्जी नामजदगी के विरोध में दिनांक 07-09-2012 को गांव भंदोड़ जिला मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद सांप्रदायिक हिंसा बुरी तरह भड़क उठी, जो मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्रों के अलावा पूरी तरह देहाती क्षेत्रों में फैल गई। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, हापुड़, शामली, बिजनौर, सहारनपुर जिले भी प्रभावित हुए।

इन दंगों को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा फौज की भी मदद लेनी पड़ी। इन दंगों में लोगों को काफी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। मुजफ्फरनगर के दंगे, शासन और प्रशासन की चूक व उनके स्तर पर भेदभावपूर्ण नीति की वजह से फैले, जिसको सभी दलों ने भी स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा में 44 लोग मारे गए हैं और 97 लोग घायल हुए हैं। इस संबंध में 2462 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शामली और मुजफ्फरनगर में 50958 लोग फंसे हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों की 78 कंपनियां तैनात की गई। राज्य सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक टी.वी पत्रकार के आश्रितों को 10 लाख रुपये दिए और केंद्र सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपये मृतकों के आश्रितों को दिए गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये और मामूली रूप से घायलों को 20-20 हजार रुपये दिए गए हैं। एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 5-5 लाख रुपये वितरित किए जा रहे हैं। दंगों की जांच, निगरानी और राहत का कार्य सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है।

मुजफ्फरनगर दंगों में केसों की विवेचना के लिए स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें विवेचना के विशेषज्ञों को रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गए लोगों के परिवार के एक व्यक्ति को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है, जिसे 2 माह में जांच कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दंगों के स्टिंग आपरेशन की जांच दिखाए गए फुटेज और उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल के लिए विधानसभा की सर्वदलीय समिति का गठन किया है। मुजफ्फरनगर दंगों के संदर्भ में सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा के लिए दिनांक 23.09.2013 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई जिसमें गुजरात, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाड़ और राजस्थान को छोड़कर 16 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

इस मिटिंग में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने की असल जिम्मेदारी राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की है। वह राजनीति से ऊपर उठकर सांप्रदायिकता का खतरनाक खेल खेलनेवालों को सख्ती से रोके। वह तनाव, घृणा और हिंसा फैलानेवाले सियासी खिलाड़ियों के साथ सख्ती से पेश आए।

दंगे हादसे नहीं होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कराए जाते हैं, जिसका वोट बैंक की राजनीति से संबंध होता है, क्योंकि भारत में अभी भी लोग जाति और धर्म की बुनियाद पर वोट देते हैं, जिन समुदायों का उनको समर्थन मिलने की संभावना होती है, उनको अपनी

छतरी के नीचे लाते हैं और जिन लोगों का वोट अन्य पार्टियों को मिलना है, उनका विभाजन कराते हैं। इस सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण की प्रक्रिया अपनाने में राजनैतिक दलों के नेता अपने स्वार्थों के चलते दंगों के दौरान पक्षपात और भेदभाव की नीति अपनाते हैं, जिससे सांप्रदायिक या जातीय तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा फैलते हैं। सामुदायिक भेदभाव या खुला प्रदर्शन या तो लोगों के मन में नया घाव बनाते हैं या पुराने घावों को बढ़ाते हैं।

इसके अलावा भारत के दंगों के पीछे विगत घटनाओं, पक्षपात, वक्तव्य, अफवाहों, निर्शायों, अन्यायों, शिकायतों का इकट्ठा रोष भी होता है। दंगों के कारणों के पीछे और उसके दोषी उसे उकसानेवाले, आरंभ करनेवालों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि वह विचारधारा भी है, जो उन लोगों में दंगे और हिंसा की मानसिकता को पोषण देती है। जिसके तहत दंगों की साजिश की जमीन तैयार की जाती है। परिणामस्वरूप एक जाति या धर्म के लोग दूसरे धर्म या जाति के लोगों के विरुद्ध संगठित हो जाते हैं और सक्रिय रूप से दंगे में भाग लेते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। लूटमार, आगजनी करते हैं। अवैध शस्त्रों का प्रयोग करते हैं और हत्याएं करते हैं।

हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण पाकिस्तान का भारत विरोधी रवैया भी है। अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान भारत के मुसलिम समाज के कुछ भटके हुए युवकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे मुसलिम युवा पाकिस्तान की आई.एस.आई. के हाथों का खिलौना बनकर आतंकी घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। इंडियन मुजाहिद्दीन (आई.एम.) इतना सशक्त है कि वह सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए देश में कहीं भी आतंकी घटना कर सकता है।

सांप्रदायिकता विभाजनकारी है। राष्ट्रीय एकता की विध्वंसक है। राष्ट्रतोड़क है और राष्ट्रद्रोही भी है। यह अलगाववाद बढ़ाती है। मुसलिम लीग ने मुसलमानों को राष्ट्र से भिन्न पृथक कौम बताया था। अंग्रेजी सत्ता को यह अलगाववाद उपयोगी लगा। मुसलिम लीग ने अलग प्रतिनिधित्व मांगा। अंग्रेजों ने मार्ले मिन्टो सुधार दिए और भारत परिषद् अधिनियम 1909 में अलग प्रतिनिधित्व मिल गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र बताया। सांप्रदायिक आक्रामकता बढ़ी, लिहाजा देश बट गया। अंग्रेजी राज भी सांप्रदायिक हथियार से खेल रहा था। सन 1929 में डा. भीमराव अंबेडकर ने लिखा था कि एक सामान्य राष्ट्रभाव जगाना इस समय बहुत जरूरी है। यह भाव कि वह सबसे पहले भारतीय है उसके बाद हिंदू, मुसलमान। संविधान में हिंदू मुसलमान अलग इकाई नहीं है लेकिन राजनीति सांप्रदायिक भावनाओं को ही भड़काती है।

पाकिस्तान निर्माण के बाद दोनों समुदायों की एक बड़ी संख्या में आबादी पलायन के बाद जो मुसलिम भारत में रह गए, उनके मन में यह भाव कायम रहा कि उन्हें सही तरह से नहीं अपनाया जा रहा। नई पीढ़ी भी इतिहास के स्याह पन्नों से अपने को अलग नहीं कर पा रही है और इस नई पीढ़ी का एक हिस्सा हिंदुओं के प्रति वैमनस्य का भाव रखता है। वहीं हिंदुओं का एक वर्ग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मुसलिम समाज भारतीय उपमहाद्वीप का अभिन्न अंग है। कई ऐसे हिंदू संगठन हैं, जो मुगलकालीन या पहले के इतिहास की आड़ में एक तरह की कट्टरता का काम कर रहे हैं। ऐसे संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं। इसके चलते मुसलिम समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस करता है।

हिंदू संगठन यह भूल रहे हैं कि हिंदू संस्कृति की एक बड़ी विशेषता यही है कि उसमें बाहर से आए अलग-अलग संप्रदायों और वर्गों को खुले दिल से स्वीकार किया है, कुछ संगठनों ने राजनैतिक फायदे के लिए हिंदुत्व को मनमाने तरीके से परिभाषित करने की

कोशिश की है। जो कि उच्चतम न्यायालय अपने फैसले में साफ कर चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, उसकी तुलना अन्य मतों, संप्रदायों आदि से नहीं की जा सकती। इसके बावजूद कुछ राजनैतिक दल हिंदुत्व को गलत परिभाषित करते हैं। इसका लाभ उठाकर कुछ अन्य राजनैतिक दल मुसलिम समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे।

मुसलिम समाज वोट बैंक की इस राजनीति को समझते हुए भी उससे बाहर आने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये दल मुसलिम समुदाय के थोक वोट हासिल करने के लिए उनके हितों की पैरोकारी हर तरह करते हैं। जो बहुसंख्यक समुदाय को यह संदेश देता है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। कुछ दलों के पक्षपातपूर्ण रवैये ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है, जो मुजफ्फरनगर दंगे से स्पष्ट है।

भारतवर्ष में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इनमें से 218 सीटों पर मुसलिम आबादी लगभग 10 प्रतिशत है। 70 सीटों पर लगभग 20 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत है। थोक वोट बैंक के कारण उनके मत निर्णायक होते हैं। इसलिए सांप्रदायिक तुष्टीकरण की प्रतिस्पर्द्धा है। सरकारें मजहबी आधार पर विकास कार्यों और अन्य सहूलियतों का वोट बैंक उपहार दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों में गलाकाट स्पर्द्धा है। बिहार में 3 दलों में में स्पर्द्धा है।

बंगाल में वोट बैंक के लिए मस्जिद के इमामों और मोइज्जमों को भत्ता देने की घोषणा की जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया। यू.पी. सरकार ने मजहबी आधार पर आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की सिफारिश की, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत बताया। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर भी ऐसी ही निर्णय आया। महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के मदरसों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया और उसके लिए सरकार ने रुपयों का प्रावधान भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाओं में मुसलिम समुदाय के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण तथा कब्रिस्तानों की बाउंडरी के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की। मजहबी आधार पर छात्राओं को धन आवंटित किया। दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड के इमामों व मुइज्जियों के लिए मानदेय की घोषणा की।

केंद्र मुसलिम जिलों के विकास की योजना पर सक्रिय है और अब मुसलिम बाहुल्य गांवों का सर्वेक्षण हो रहा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी जाति और मजहब की राजनीति है। मजहबी आधार पर केंद्र ने साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी, जो बाद में वापस लेनी पड़ी। सांप्रदायिक निर्णयों के आश्वासनों से ध्रुवीकरण का ताप बढ़ता है। सांप्रदायिक उपकरणों से भी सांप्रदायिक समाज नहीं बनते। उत्तर प्रदेश में सरकार के नेताओं ने असांप्रदायिक उपकरणों से ही अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। उन्होंने समाज का रासायनिक संगठन तोड़ा। मजहब के आधार पर किसी समूह को मिली सुविधा सांप्रदायिकता की पोषक है। केरल में मुसलिम आबादी के आधार पर जिले बनाने की घटनाएं आत्मघाती हैं। मूलभूत प्रश्न यह है कि संप्रदाय विशेष की आबादी के आधार पर जब विशेष सुविधाएं लाई जा सकती हैं या जिले बनाए जा सकते हैं, तो ऐसा कृत्य अलग राज्य या अलग देश की बुनियाद भी बन सकता है। यह अलगाव वाद को बढ़ावा देता है।

हिंदू संगठन भी हिंदुओं का वोट पाने के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं को उभारकर उनको संगठित करने का प्रयास हो रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधु-संतों सहित सभी हिंदू संगठनों का सहारा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद ऐसे मामलों को भी उभारा जा रहा है। हिंदुओं के धर्मांतरण तथा देश-विदेश से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर उनको अपने पक्ष में जोड़ने का प्रयास हो रहा है। देश की सभी सैक्यूलर

पार्टियां एक दल को हिंदुओं की राजनीति करने पर सांप्रदायिक पार्टी कहती हैं तथा उस पर समाज में घृणा का वातावरण फैलाने, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का आरोप मढ़ती हैं।

हर एक विचार या वाद का प्रतिवाद होता है। यदि कोई राजनैतिक दल सांप्रदायिकता को अकारण गले लगाता है। उसका पालन पोषण या संरक्षण करता है, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। राजनीति ने ही लगातार सांप्रदायिकता का संवर्धन किया है और इससे राष्ट्रीय एकता के विघटन का खतरा बढ़ा है।

सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के उपाय

देश का सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में है। सांप्रदायिक तनाव को लेकर पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों पर भारी दबाव है। नवंबर 21 से नवंबर 23, 2013 तक नई दिल्ली में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सांप्रदायिक तनाववाले मुद्दों पर कड़ाई और निष्पक्षता से तत्काल कार्रवाई की जाए। ताकि समाज विरोधी तत्वों को इसके बेजा इस्तेमाल का अवसर न मिल सके। इस सिलसिले में उन्होंने समाज में घृणा फैलाने के लिए सोशल नेटवर्किंग और एस.एम.एस. के दुरुपयोग पर चिंता जताई तथा सोशल नेटवर्किंग साइटों के इस्तेमाल को गंभीरता से लेने पर जोर दिया तथा पुलिस अधिकारियों को इसे रोकने का सही रास्ता ढूंढ़ने को कहा लेकिन साथ ही आगाह कर दिया कि इस क्रम में बोलने और विचारों के आदान-प्रदान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने आतंकी हमले की भी आशंका जताई और कहा कि कुछ संगठन अब भी भारत के भीतरी भागों में हमला करने में सक्षम है लेकिन आतंकी हमलों की जांच के लिए सुरक्षा बलों को विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया, ताकि आम जनता का धर्म निरपेक्ष राजनीति पर भरोसा बना रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर और कश्मीर में सीमापार से घुसपैठ की कोशिश, आतंकी संगठनों को मिल रही मदद तथा कानून और व्यवस्था बिगड़ने की कोशिशों को भी विफल करने के लिए तैयार रहने को कहा।

लेखक का सेवाकाल के दौरान सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील स्थानों पर कार्य करने का लंबा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ बिजनौर, बुलंदशहर तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, सोपोर तथा पुंछ में हुए सांप्रदायिक तनावों, घटनाओं तथा ऐतिहासिक सांप्रदायिक दंगों को स्वयं देखा है, कवर किया है। महत्वपूर्ण एक्सनेविल सूचनाएं एकत्रित की हैं, उनका सही विश्लेषण तथा आकलन किया है। शासन और प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया है और उससे पुलिस प्रशासन को दंगा नियंत्रण में मदद मिली है। इसके अलावा देश में अन्य जगहों पर हुए सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन किया है और आज भी देश में जहां भी सांप्रदायिक घटनाएं तथा दंगे घटित होते हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण करता रहता हूं। सांप्रदायिक क्षेत्रों में लंबे समय तक कार्य करने तथा अनुभवों के आधार पर दंगों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव काफी हद तक उपयोगी साबित हो सकते हैं।

सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के उपाय—

1. अगर कहीं सांप्रदायिक चिनगारी भड़कती है या घटना घटित होती है तो पुलिस तुरंत स्थल पर पहुंचे और उसी समय पुलिस प्रशासन सख्ती बरतकर स्थिति नियंत्रण में करे, क्योंकि थोड़ी ढिलाई और लापरवाही बड़े दंगे का कारण बन सकती है।

2. दंगे भड़कानेवालों के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाएं तथा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। कार्रवाई में निष्पक्षता बरतें जो शासन तथा प्रशासन दोनों की अच्छी छवि के हित में है।

3. सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सरकार

एवं प्रशासन तुरंत प्रभावकारी कदम उठाएं।

(क) सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम की कार्रवाई करे।

(ख) पिकेट और गश्त की व्यवस्था दंगा योजना के अनुसार करें।

(ग) अवैध शस्त्रों और गोला बारूद की बरामदगी करें।

(घ) अफवाहों का खंडन किया जाए। अफवाहें कहां से उड़ीं तथा किसने फैलाईं इसका पता लगाया जाए।

(ङ) बलवे से प्रभावित पक्षों की भावी योजना का पता लगाया जाए व समय रहते कार्रवाई की जाए।

(च) वलबे में सम्मिलित लोगों की आर्थिक मदद करनेवालों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

(छ) समाज के शांत प्रिय लोगों का सहयोग लिया जाए।

(ज) थाने पर सांप्रदायिक दंगों में भाग लेनेवालों तथा दंगा करानेवालों के नाम पते रखे जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

4. शासन और प्रशासन के लोग सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को काबू पाने में या उनको रोकने में पूरी तरह सक्षम हैं। यदि हिंसक घटनाएं 2 दिन से ज्यादा लंबे समय तक जारी रहती हैं और अन्य जगहों पर फैलती जा रही हैं, तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के आकलन में चूक, पक्षपात या भेदभावपूर्ण कार्रवाई इसके पीछे हो सकती है। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक दंगों में उपद्रवियों को रोकने के लिए राज्य सरकार तुरंत अधिकतम बल का प्रयोग करे। इस बारे में केंद्रीय मंत्रालय के सांप्रदायिक सद्भाव पर दिशा निर्देश पूर्ण और स्पष्ट हैं।

5. जिला प्रशासन नियमित अंतराल पर सांप्रदायिक स्थिति का आकलन करे और उसका पूरा ब्योरा रखे। साथ ही वह सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों की पहचान करे और क्षेत्र की आबादी, संदेह के कारणों, विवादों की वजहों और अतीत की विस्तृत घटनाओं का लेखा जोखा बनाए। हर पुलिस थाने के पास ताजा ब्योरा जरूर हो। थाने के वरिष्ठ पुलिसकर्मियों की नजर इन संवेदनशील इलाकों पर लगातार बनी रहे। अगर थोड़ी भी जरूरत हो तो अलग चौकी बने तथा अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए।

6. राज्य और जिला स्तर पर 'विशेष संकट प्रबंधन योजना' होनी चाहिए। इसका पर्सनल पॉलिसी में यह उल्लेख है कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसवालों की नियुक्ति वहां के सामाजिक ढांचे के अनुरूप की जाए, जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी रहे और वह हर तबके के लोगों के बीच भरोसे को बनाने में मददगार हों।

7. हमारा भारतीय समाज जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर बटा है। समाज में यह विभाजन बहुत पुराना है और इस आधार पर अतीत में दंगे भी हुए हैं। इसलिए जाति, धर्म संप्रदाय से संबंधित मामलों को नजरअंदाज न किया जाए और उन्हें तुरंत सुलझाया जाए।

8. कभी-कभी छोटी आपराधिक घटनाएं भयानक सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेती हैं। इसका कारण हमारी मानसिक स्थिति भी हो सकती है और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति भी। कभी-कभी ऐसी घटनाओं के पीछे साजिश भी हो सकती है। ऐसी घटनाओं की पहचान, उनका वर्गीकरण करना स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियों का काम है, जिससे स्थिति पर जल्द प्रभावी कदम उठाकर नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' अर्ली वार्निंग सिगनल एंड रेसपोंस सिस्टम बनाने की तथा विकसित करने की जरूरत है।

9. प्रायः देखा गया है कि सांप्रदायिक दंगे की सूरत में राजनैतिक तबके के लोग दंगे को सुलझाने के

बजाय उसको और हवा देते हैं और यही वह स्थिति है कि जहां से सांप्रदायिक हिंसा का स्वरूप बिगड़ने लगता है और एक सीमा के बाद किसी का बस नहीं चलता। ऐसी स्थिति में पुलिस, जिला प्रशासन और सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया जाए।

10. भारत में बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर पूरी नजर रखी जाए। असम में हुए दंगे और मुजफ्फरनगर के दंगे इसके उदाहरण हैं।

11. खुफिया विभाग की सूचना को हल्के में न लिया जाए। उस सूचना या अलर्ट पर तुरंत ध्यान दिया जाए तथा आवश्यक प्रभावकारी कदम उठाए जाएं, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।

12. दंगों का जहां एक कारण धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर विभाजन है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक ढांचे का राजनीतिकरण है। अक्सर दंगे को रोकने से पहले प्रशासनिक व्यवस्था यह देखती है कि सांप्रदायिक या जातीय दंगे को रोकने से कहीं उसके राजनैतिक आका को नुकसान तो नहीं हो रहा है। इससे प्रशासनिक सुस्ती आती है और दंगा शुरुआती चरण से आगे बढ़ जाता है। पुलिस और प्रशासन दोनों अपने कर्तव्य निभाने की जगह राजनैतिक आदेशों का पालन करने लगते हैं। जहां से उन्हें अनुचित लाभों की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन की छवि जनता में गिरती है। इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अपने दायित्व और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस दंगे को शुरुआती दौर में ही अपनी पूरी ताकत और सख्ती से दबा दे ताकि दंगा आगे न फैलने पाए।

13. सरकार को ईमानदार होना होगा और सियासी नफे नुकसान की बिसात पर फैसले लेने की आदत में सुधार लाना पड़ेगा।

14. जिस सांप्रदायिकता के चलते हमारे देश को कई राष्ट्रों में बटने पर विवश होना पड़ा, आजादी के 65 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी वह हमें बीमार कर रहा है। सांप्रदायिक दंगों से दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। हम सांप्रदायिक ताकतों को कसूरवार ठहराकर, राजनैतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति का जिम्मेदार बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते। ऐसे में समाज के हर व्यक्ति, वर्ग और संप्रदाय को मुल्क के भले के लिए दंगाइयों के मनसूबों के खिलाफ आगे आना होगा।

15. परंपरागत शांति समितियों पर जिम्मेदारी डालने के बजाय दोनों संप्रदायों के युवाओं की एक टीम खड़ी की जाए और इस टीम के बूते पर जिम्मेदारी का अहसास कराकर खुराफातियों को नाकाम किया जाए।

16. लोगों की सतर्कता और सूझ-बूझ की कमी का फायदा उठाकर आपराधिक तत्व दंगा कराने का काम करते हैं। इसलिए लोगों को खुद भी सचेत रहने की जरूरत है, जिससे कि दूषित प्रवृत्ति के लोग अपने मंसूबों में कामयाब न हो सकें।

17. सांप्रदायिक हिंसा इसलिए नहीं रुकती कि संप्रदायों के ठेकेदार विषवमन करते रहते हैं, बिना इन पर प्रभावी अंकुश लगाए सांप्रदायिक हिंसा को रोकना मुश्किल है, इसलिए ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

18. दोनों संप्रदायों के मध्यम वर्ग एक दूसरे के तहजीब व समाज स्तर पर कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सके। महिलाएं तो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठीं। यह काम त्योहारों व शादियों के अवसर पर किया जाए। एक दूसरे से जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा तथा भ्रांतियां दूर होंगी।

19. आज के दौर में काफी सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास हुआ है और भी तमाम तरह के व्यापक सुधार हुए हैं। पुलिस और प्रशासनिक लोगों की कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है। वह आधुनिक सुविधाओं, कम्युनीकेशन, ट्रांसपोर्ट, हथियारों, उपकरणों तथा वैज्ञानिक तकनीकों से लैस है। कम्युनिटी

पोलिसिंग से समाज के लोग भी जुड़े हैं। ऐसे में सांप्रदायिक दंगों का घटित होना और उसका फैलना प्रशासनिक विफलताओं को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

20. राजनैतिक दलों को डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को समझने के बाद दंगों पर काबू पाने के लिए एडवांस प्लानिंग की जरूरत है।

21. पुलिस और खुफिया विभाग द्वारा राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, जातीय, व्यावसायिक संस्थाओं, किसानों, विद्यार्थियों, शिक्षक संगठनों की गतिविधियों पर उनकी तैयारियों तथा योजनाओं पर नजर रखी जाए। उनके द्वारा बांटे गए, लगाए गए (पर्ची), पोस्टरों को प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

22. दंगाइयों की हिंसा का पैटर्न की उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और तरीका (मैथड) क्या है, उसका सही आकलन कर, अध्ययन कर तथा सोच-समझकर प्रभावी कदम उठाए जाएं। कौन-सी कम्युनिटी एग्रेसिव (आक्रमणकारी) है, इसका भी पता लगाकर जरूरी कदम उठाए जाएं।

23. सांप्रदायिक तनावों या दंगों के दौरान कोई प्रचार या आंदोलन किसी सांप्रदायिक इश्यू पर चल रहा हो, तो उसे रोकने के लिए वहां पर कार्यरत राजनैतिक पार्टियों, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों की भावना, प्रभाव, हिंसक मनोवृत्ति का आकलन कर प्रभावी कदम उठाए जाएं। अगर लोकसभा, विधानसभा या निकायों के चुनाव हो रहे हैं या होनेवाले हैं, तो इस संबंध में खास ध्यान दिया जाए।

24. देहाती क्षेत्रों में दंगों के फैलने तथा आपराधिक घटनाएं घटित होने से रोकने के लिए ग्राम प्रधानों तथा ग्रामों के प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद ली जाए। गांवों में मीटिंग करके शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की जाए। उन्हें दंगाइयों के खिलाफ सख्त एवं निष्पक्ष कार्रवाही का भरोसा दिलाया जाए। मीडिया का भी सहयोग लिया जाए। मोटर साईकिल का इस्तेमाल करनेवालों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अपराधी देहाती क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस से बच निकलने में इसका काफी उपयोग करते हैं।

25. अगर एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों का आर्थिक कारणों की वजह से शोषण किया जा रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आर्थिक तनाव को लेकर दो संप्रदायों के बीच हिंसा पनप सकती है।

26. सांप्रदायिक पार्टियों, संगठनों, प्रेस की गतिविधियों, उनके प्रभाव, ताकत तथा प्रचार के बारे में पता लगाएं तथा उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर भी रखें।

27. किसी विदेशी एजेंसी पर कोई शक हो या सांप्रदायिक दंगों में कोई हाथ हो तो उसका भी पता लगाया जाए। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि एक दल के नेता ने मुजफ्फरनगर दंगों के शिविरों में रह रहे युवकों से पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा संपर्क किए जाने के संकेत दिए थे। इसी तरह के आरोप जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में लगे थे।

28. सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। इसके लिए मीटिंग, सेमिनार स्कूलों, कालेजों तथा अन्य जगहों पर आयोजित करने की जरूरत है।

29. सिविल डिफेंस का सहयोग लें तथा इसे सक्रिय भी करें।

30. वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग लें। खासतौर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सहयोग व परामर्श लें।

31. मुख्य-मुख्य स्थानों पर या भीड़वाले इलाकों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने का प्रबंध किया जाए।

धार्मिक कट्टरता/सांप्रदायिकता के संबंध में महत्वपूर्ण उदाहरण—

1. 14 सितंबर, 2012 को किसी असामाजिक तत्व द्वारा एक समूदाय के ग्रंथ के बारे में अपशब्द लिखकर रेल की पटरी पर, आध्यात्मिक नगर रेलवे हाल्ट, गाजियाबाद में चलती ट्रेन से फेक दिए गए। इसको देखकर वहां आस-पास में रहनेवाले लोग उत्तेजित हो गए। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के अपवित्र होने के विरोध में एन.एच. 24 हाइवे पर ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिसवालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। मंसूरी पुलिस थाने में आग लगा दी और उसमें जो गाड़ियां खड़ी थीं, उनमें आग लगा दी। पुलिस जीप, बस, ट्रक को भी आग लगा दी। इस झगड़े में 12 पुलिसकर्मी, जिनमें एस.पी. देहात भी शामिल थे, घायल हो गए। पुलिस की गोली से 6 लोगों की भी मौत हो गई। मंसूरी थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। तब जाकर स्थिति शांत हुई और ट्रैफिक खुला। इसमें थाना इंचार्ज तथा अन्य लोगों को लापरवाही बरतने के आरोप में हटा दिया गया। इंस्पेक्टर लोकल इंटेलीजेंस यूनिट और अन्य एल.आई.यू. स्टाफ के खिलाफ स्थिति का सही आकलन न करने के आरोप में विभागीय कार्रवाई की गई।

2. अमेरिका में एक फिल्म रिलीज हुई। जिसमें किसी धर्म व उसके गुरु की आलोचना और भर्त्सना की गई। इस फिल्म के विरोध में पूरी दुनिया के कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हुए। दो देशों के शहर में सितंबर 11, 2012 को अमेरिकी राजदूत समेत 4 अमेरीकंस की हत्या कर दी गई। हिंसक प्रदर्शन कई देशों में भी हुए। भारतवर्ष में 14-09-2012 को श्रीनगर और चेन्नई में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुए।

3. भारतवर्ष में धर्म के नाम पर कई विशेष अवसरों पर दो समुदायों में धार्मिक उन्माद देखा जाता है।

4. केरल में भी कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिले है वहां एक दल के कट्टरपंथियों ने प्रोफेसर का एक हाथ इस वजह से काट दिया कि उन्होंने किसी धर्म के बारे में कुछ सवाल पेपर बनाते वक्त पूछ लिए। कालिज ने उनको नौकरी ले इस वजह से निकाल दिया, क्योंकि कट्टरपंथी उन्हें कालेज में देखना नहीं चाहते थे। कालेजवालों का कहना था कि अगर उस समुदाय के लोग उनको माफ कर देता है, तो वह उस व्यक्ति को नौकरी पर बहाल कर सकते हैं।

5. जून 12, 2013 को नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में 'सिख जेनोसाइट मैमोरियल' का शिलान्यास मुख्य ग्रंथी सिख जत्थेदार तख्त श्री दमदमासाहिब ज्ञानी बलवंत सिंह नंदगढ़, व अन्य संबंधित व्यक्तियों ने किया। इस अवसर पर पंजाब के कुछ नेता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर भारी संख्या में सिक्ख समुदाय के लोग वहां उपस्थित थे।

ये सभी उपरोक्त घटनाएं भारत में धार्मिक कट्टरता एवं सांप्रदायिकता की बढ़ती हुई स्थिति को ही स्पष्ट करती हैं। देशहित में इस पर गंभीर विचार करने तथा हर स्तर पर सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है।

ग्रामीण विकास में पुलिस की भूमिका

प्रो. मृत्युंजय उपाध्याय
डी. लिट्.
वृंदावन, मनोरम नगर, एल.सी. रोड,
धनबाद (झारखंड)—826001

भले ही गांव की जमीन कटती जा रही है, शहरों के आसपास के गांव उजड़ रहे हैं, वहां विशाल अट्टालिकाएं बन रही हैं, गोया वहां कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। परंतु अनाज, फल, शाक-सब्जी कभी कंक्रीट के जंगल में थोड़े ही उपज सकते हैं। इसके लिए चाहिए कृषि योग्य भूमि का विशाल खंड। जहां तक नजर जाए, कृषि का अखंड साम्राज्य फैला हो। गांवों के आसपास ही ऐसी भूमि मिल सकती है। वैसे उद्योगपतियों ने गांवों की जमीन हड़पकर, खरीदकर फार्म कृषि का विकास किया है, पर वह नगण्य है।

मसलम, वही पुराना नारा काम आता है—'गांवों की ओर लौट चलो।' महात्मा गांधी का संकेत कि देश का विकास भारत के साथ लाख गांवों के विकास से संभव है। यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। ग्राम्य विकास की कई योजनाएं कारगर हो रही हैं। सरकार का ध्यान आज देश के अंतिम आदमी, हाशिए के आदमी भावनावश भावना की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर है। उनके फिर समग्र विकास की ओर भी है।

यह अलग प्रसंग है कि शोषण का भीषण चक्र ग्रामवासियों पर चलता रहता है। दिनभर हाड़तोड़ मेहनत वे करें और मजदूरी का अधिक भाग बिचौलिए, सरकार के नुमाइंदे और रंगदार मार ले जाएं। सरकार की योजनाओं को जमीन पर आने ही न दें और अनाप-शनाप बिल बनाकार भुगतान करा लें। दो बड़ी क्षतियां इससे होती हैं—सरकारी धन का अपव्यय, दुरुपयोग। इसका पूंजीपतियों और सरकारी अधिकारियों को लाभ मिलता है और ग्राम विकास से कोसों योजन दूर रह जाता है।

इस लेख का तात्पर्य यह समझाने का है कि ग्राम विकास की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कैसे अनियमितता और लूटपाट हो जाती है और गांव पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है और युवकों को पलायन करना पड़ता है शहर की ओर वह अपनी स्थिति 'दुविधा जल बिच मरता पियासा' (कबीर) की तरह समझने को विवश हैं। पुलिस की इस विषम परिस्थिति में क्या भूमिका हो सकती है, वह अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होकर देश विकास में क्या योगदान कर सकती है।

यह बात एकदम सही है कि सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उसकी पहली शर्त है बिना काम के पैसा, अनंत धन, जिसके खातिर हत्या, अपहरण आम बात है। ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण मजदूरों को साल में डेढ़ सौ दिनों की मजदूरी का प्रावधान है। इसके अंतर्गत ग्रामीण तालाब का जीर्णोद्धार, सिंचाई के लिए नए तालाब की खुदाई, सड़कों की भराई, बीच में पड़नेवाली नालियों का निर्माण आदि काम आते हैं। ऐसे काम या तो कागज पर संपन्न हो जाते हैं, बिल का भुगतान हो जाता है या फिर ठेकेदार में थोड़ी भी हया रही तो 20-25 प्रतिशत काम सरजमीन पर होता है। शेष 80-75 प्रतिशत काम का विकास दिखाने के लिए मजदूरों की बहाली का नाटक होता है। मजदूरों की सहमति से उनके कार्ड बन गए। प्रत्येक दिन काम दिखा दिया। ऐसे कार्ड ठेकेदार के पास ही रहते हैं। हाजिरी के हिसाब से भुगतान कर राशि का 10 प्रतिशत ही मजदूरों को मिल पाता है। शेष 90 प्रतिशत ठेकेदार खा जाता है।

क्या यहां कोई 'नमक का दारोगा' (प्रेमचंद) का

नवयुवक थानेदार मुंशी वंशीधर मौजूद नहीं है, जो उस कड़ाके की ठंड में वहां के मशहूर धनपति अलोपीदीन को। नमक की चोरी में गिरफ्तार कर लेता है। धन, भ्रष्टाचार की लाख शक्ति का प्रदर्शन हो पर एक दिन समय जीत जाता है। वहां की स्थानीय पुलिस थोड़ा हस्तक्षेप करे, धौंस दिखाए तो ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाए। शोषण का चक्र रुक जाए। हां, पुलिस को धन का लोभ हो गया तो फिर मजदूरों का हित नहीं सधेगा। उनकी व्यवस्था उत्तरोत्तर दयनीय होती जाएगी। ध्यान रहे कि जो बिकनेवाले हैं (चाहे वह पुलिस का सिपाही हो या महानिदेशक) उसे लोग खोज लेते हैं। मोल जोल कर अपना हित साध लेते हैं परंतु जो डटनेवाले हैं, प्राण देकर डटते हैं। महाभारत में कहा गया है :

जिन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया है, वही लोगों के द्वारा बिकने के लिए खरीदे जाते हैं। हजार स्वर्ण मुद्रा देकर हाथी खरीदे जाते हैं, सिंह नहीं खरीदे जा सकते कभी।

पुलिस की थोड़ी जागरूकता, सावधानी, कानूनी ताकत, उत्तरदायित्व की भावना ग्राम विकास के कई रास्ते खोल सकती है। सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है इस योजना में पर वह जमीनी हकीकत क्या जाने। यह जानना है पुलिस। जानते हैं मुक्तभोगी।

ग्रामीण जानते हैं कि विद्यालयों में मुफ्त भोजन मिलता है, किताबें मिलती हैं। साइकिल मिलती है। शुल्क एकदम नहीं लगता। पर ग्रामीण बच्चों की उपस्थिति प्रारंभ (जिस आधार पर दोपहर का भोजन बनता है) में 70 प्रतिशत तक रहती है। भोजनोपरांत यह उपस्थिति घटकर पांच प्रतिशत रह जाती है। कारण, सारे बच्चे आते हैं गरीब घरों से। वहां के मर्द, औरत दोनों को दो जून की रोटी जुटाने में हड्डीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल से भागकर ये बच्चे छोटे भाई-बहनों को ढोए फिरते हैं। घर के काम काज में मदद करते हैं। बकरी, गाय, भैंस चराते हैं। खेलों में मवेशी का गोबर जमा करते हैं। इससे गोयढे बनाते हैं। तब इनके घर के चूल्हे जलते हैं।

साइकिल वितरित होते ही बेचनेवाला स्वयं खरीद लेता है। किताबें किताब की दूकानवाला ले जाता है या फिर बच्चे उसे फाड़कर जमीन पर बिछाते हैं या फिर छोटे भाई-बहनों का मल पोछते हैं। क्या करते हैं शिक्षक, क्या करते हैं प्रधानाध्यापक? शिक्षा अधिकारी की क्या? होती है भूमिका? क्या वहां की स्थानीय पुलिस का यह दायित्व नहीं बनता कि वह औचक निरीक्षण कर समस्या में हस्तक्षेप करे? समुचित कार्रवाई करे।

अन्याय, भ्रष्टाचार, अराजकता के खिलाफ पुलिस को सर्वदा और सर्वथा बोलने का अधिकार है। वह संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकती है, जिसका नतीजा तुरंत सामने आ जाएगा। झरिया (कोयला खदान के लिए विश्व में प्रसिद्ध) में कारमेल की एक लड़की थी। कक्षा सात में पढ़नेवाली। उससे अपने आसपास गंदगी का अंबार नहीं देखा गया। वह पिता से बोली। वह नगरपालिका गए, फरियाद की। पर नतीजा शून्य। तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीय श्री रंगनाथन थे। उसने अपनी स्थिति का बयान एक पोस्टकार्ड में उन्हें भेजा। उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और आनन-फानन में सफाई हुई। तब के अखबार में यह समाचार सुर्खियों में था।

तात्पर्य यह है कि पुलिस के पास अधिकार अनंत हैं। उसमें शिक्षा-दीक्षा का भी अभाव नहीं है। न उसमें ऊंचे संस्कारों की कमी है। थोड़ी-सी जागरूकता चाहिए। चाहिए ग्रामीण समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण सकारात्मक दृष्टि। बस उसका जागरूक हो जाना और अन्याय, दमन पर उंगली रख देना ही पर्याप्त है।

मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब मैं तकाबी (सरकारी ऋण) लेने गया था। घटना 1958-60 की है। मुझे खेती के लिए दो सौ रुपये का ऋण मिला था। सूद की दर दो प्रतिशत। भुगतान सुविधानुसार किश्तों में। ऋण पाने के बाद पुलिस अधिकारी ने मुझे एकांत में पूछा

कि इसके लिए, मुझे कोई घूस तो नहीं देनी पड़ी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है यहां। वह प्रसन्न हुए और बोले, "मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि ऋण देनेवाला कुछ प्रतिशत ले लेता है। इसीलिए मैं यहां प्रतिनियुक्त हुआ हूं।" मैं तब बी.ए. ऑनर्स कर रहा था। आदर्शों सिद्धातों में जीना था। उस अधिकारी को कुछ क्षण मैं निर्निमेष दृष्टि से देखता रहा। फिर बोला, "सर आप जैसे ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी पर हमें गर्व है।"

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण विधवा पेंशन योजना है। सीमांत किसानों को मुफ्त बीज मिलता है। खेती के लिए आसान किश्तों पर ऋण। जलाशय, बांध, कुआं आदि बनाने के लिए ऋण का प्रावधान है। पर सर्वत्र घूस है कहीं मनमानी, कहीं प्रतिशत के हिसाब से। विधवा पेंशनधारियों को नवंबर-दिसंबर में प्रत्येक वर्ष अस्तित्व प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह वास्तव में जीवित हैं। प्रमाणपत्र दाता (यदि बैंक में खाता नहीं हो) एक माह का पेंशन प्रमाणपत्र देने में ले लेता है और सीना ठोककर कहता है—"तुम्हारी एक महिने की ही पेंशन तो गई। शेष ग्यारह महिने का तो तुमको मिलेगी ही। सोचो, मैं प्रमाणपत्र न दूं तो क्या हाल होगा तुम्हारा।"

अनपढ़, अनाथ को कैसे पता है कि प्रमाण पत्र घूस लेकर देनेवाले के विरुद्ध कानून का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। पुलिस का कर्तव्य कानून का पालन कराना भर नहीं, कानून तोड़नेवालों, शोषण करनेवालों को सबक भी सिखाना है। उन्हें दंडित ऐसा करना है कि देखनेवाले सिहर जाएं और भविष्य में गलत नहीं करने की कसम खाएं।

गांव किसी थाने के अंतर्गत होता है। उसका एक थानेदार (निरीक्षक, उपनिरीक्षक) होता है, जिस पर उस गांव की विधि-व्यवस्था, अमन चैन का उत्तरदायित्व होता है। कभी माह में एक बार भी वह दौरा कर ले और अनियमितता एवं गैरकानूनी हरकतों के प्रति जागरूक हो जाए, सख्त रुख अपनाए तो सबकुछ व्यवस्थित हो जाएगा। "Eternal vegilence is the price of liberty."

भागलपुर जिले का एक गांव है कुमैठा, जिसका थाना है सुल्तानगंज गांव से पक्का सात किलोमीटर दूर। वहां आरा जिले के एक दारोगा आए थे। घोड़े पर सवार होकर निरीक्षण करते थे। एक बार रात एक बजकर पचास मिनट पर गांव पधारे। तब सेंध काटकर चोरी होती थी। एक घर में उसी विधि से चोर घुसने ही वाला था कि उन्होंने उसकी चोटी पकड़ी और उसे इतना डराया-धमकाया, कुछ दिन हवालात में बंद कराया कि उनकी दहशत से ही चोरी, डकैती, लूटपाट बंद हो गई।

न्याय शास्त्र कहता है कि तुम दारोगा हुए तो क्या हुआ? पुलिस के बड़े अधिकारी ही तो गए तो कौन-सा पहाड़ टूट गया? तुम जिस पद पर हो, तुम्हारा जो उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसका निष्ठापूर्वक पालन नहीं हुआ तो तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ है। "Justice should appear as justice"—न्याय न्याय की तरह लगे भी तो। ऐसा होगा तो जनता सुधरेगी और पुलिस को हार्दिक सहयोग करेगी। ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। नवयुवक एस.पी. ने योगदान के एक महीने के भीतर बैंक लूटनेवाले डाकुओं के दल से सामना किया। बैंक को तो बचा लिया पर डाकू की एक गोली के शिकार हो गए। प्राण गंवा बैठे। उनका स्मारक उनकी वीरता की याद दिलाता है। "जो सर से कफन को बांध चुका वह आंख चुराना क्या जाने।"

गीता कहती है "कार्यं वा साधयामि शरीरं वा पातयामि"—कार्य को सिद्ध करके रहूंगा या फिर शरीर ही नष्ट कर दूंगा। इस पार या उस पार। ऐसा जज्बा, संकल्प और उत्तरदायित्व का बोध हो पुलिस के पास, तो ग्राम विकास की मुख्य धारा में अवश्य आ जाएं। गांधी जी के अनुसार पुलिस को देखना चाहिए उस अंतिम आदमी को, जिसके पास सत्य, न्याय का ही एकमात्र सहारा है।

गांवों का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। गांव ही कृषि के कारण विकास का मुख्य मुद्दा हैं, जिस पर कुशासन, कुव्यवस्था, अराजकता का कहर ढह रहा है। सरकार का ध्यान इस ओर है पर बाधक तत्त्व स्थानीय हैं। उन्हें वहां की पुलिस रास्ते पर ला सकती है दाम, दंड, भेद से। उसे लड़ने, डटने और लक्ष्य पाने का दृढ़ संकल्प है। थोड़ी सी जागरूक और कर्मठता की जरूरत है। जागरूक जय निश्चित है हार चुके निग्नेवाले। अथ 'पुलिस विज्ञान'—माहत्म्य कथा प्रो. मृत्युंजय उपाध्याय डी.लिट. पुलिस विज्ञान पत्रिका भले ही पुलिस विभाग की पत्रिका हो, पुलिस महानिदेशालय के सौजन्य से निकलती हो, पर उसका जमीनी असर कितना गहरा और व्यापक है इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। यह भी विचारणीय है कि इस पत्रिका का महत्व क्षणिक है, अपना लेख तीन-चार बार पढ़े आत्ममुग्धता के शिकार हुए। फिर रख दिया। पीछे पलटकर देखने की फुर्सत किसे है।

मैं इस लेख के पचड़े में पड़ना चाहता था। इसलिए कि पत्रिका एकदम व्यावसायिक, औपचारिक परंपरा का निर्वाह भर रह जाए, तो काल प्रवाह में उसका महत्व घट जाता है। वह विस्मृति के गह्वरे में जाने को विवश हो जाती है। पर इसमें प्राण है। इसकी नाड़ी समय पर चल रही है। अतएव, मैं इसके महत्त्व, उपादेयता, प्रासंगिकता और इसमें लिखने की प्रेरणा के बारे में एक संदर्भ का उल्लेख करूंगा।

लगभग बीस वर्ष बीत गए। पता नहीं गंगा का कितना पानी बंगाल की खाड़ी में गिर चुका होगा। मैं उस समय की प्रतिनियुक्त संपादिका से मिला था जो हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखती थीं के.हि. निदेशालय की पत्रिका से भी जुड़ी हुई थीं उन्होंने मेरी कुछ कविताएं भी इस पत्रिका में प्रकाशित करवाई थीं।

उनके अनुरोध पर मैं लोदी रोड स्थित सीजीओ कप्लैक्स गया। वहां 'पुलिस विज्ञान' का एक ताजा अंक मेरे हाथ में दे दिया। मैं कभी पत्रिका देखूं और कभी उनको। मेरी स्थिति ऐसी हो गई—

वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत।

कभी उनको देखता हूं कभी घर को देखता हूं।

उन्होंने मेरा द्वंद्व पहचान लिया और बोली—"साहित्यालोचन् में श्यामसुंदर दास ने कलाओं का स्थूला वर्गीकरण दो भागों में किया है—उपयोगी कला और ललित कला। इस पत्रिका को आप उपयोगी कला का प्रकाशन मानिए और इसमें बराबर रचनात्मक योगदान कीजिए।"

मैं असमंजस में पड़ गया "भला मैं इसमें क्या लिख पाऊंगा।" उन्होंने मेरी स्थिति संभाली—"आप अपने घर, पड़ोसी, समाज, प्रांत, देश में जो स्थिति देख रहे हैं, उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है, वह क्या करती है? उसका नतीजा क्या निकलता है? आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? इस पर लिखिए। खुलकर लिखिए। सबका स्वागत है।" उन्होंने मुझे पुलिस से संबंधित कुछ पुस्तकें भी दीं।

मैं पत्रिका, किताबें लेकर आ गया और अपनों को नए भावबोध, नई ऊर्जा, सृजनात्मकता से संपृक्त पाया। फिर क्या था। 'पुलिस विज्ञान' में पहला ही लेख अनुभवाश्रित अधिक था, सैद्धांतिक कम। पर प्रभावक और पठनीय बचन पड़ा था।'

पुलिस की अमिवार्यता, अपरिहार्यता का बोध

मैं धनबाद के एक किराये के मकान में रहता था पहली मंजिल पर। नीचे एक बंगाली परिवार रहता था। पति-पत्नी तीन बच्चे। जनवरी का तीसरा सप्ताह था। रात के तीन बजे थे। मैं अपना एक लेख समाप्त कर लेटा ही था कि दबी जुबान "ये।...? ये।... सुनाई पड़ा। मैं तुरंत खड़ा हो गया और बिना जाने समझे कौन चोर है, पूरी शक्ति से चिल्ला पड़ा "चोर... चोर... पकड़ो, पकड़ो, भागने न पाए।"

इतना चिल्लाना था कि चोर। संख्या में तीन थे। सिर पर पांव उठाकर भागे। मुहल्लेवाले भी जाग गए।

सब आकर गृहस्वामी का हालचाल लेने लगे। अगले दिन सुबह दस बजे थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। थानेदार आए। उनके साथ उनकी टीम आई। आसपास के वातावरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर वहां कभी चोरी की घटना नहीं हुई।

फिर क्या था। मैंने अपने इस ताजे अनुभव का तत्काल लाभ उठाया और 'जनता की जागरूकता और पुलिस का कर्तव्य' शीर्षक एक लेख पुलिस विज्ञान पत्रिका के लिए भेज दिया। वह लेख छप गया और 'संचार समन्वय' (त्रैमासिक, पुलिस एवं बेतार विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित) की एक प्रति भी भेजी गई। मैंने देखा कि पुलिस विज्ञान की अपेक्षा वह पत्रिका सरल सुगम है। वहां शुद्ध सिद्धांत नहीं होकर अनुभूत, अनुप्रयुक्त ज्ञान भी चलेगा। फिर उसके स्वभाव के अनुसार उसमें भी लेखकीय सहयोग करता रहा।

पुलिस पर परंपरा एवं शिक्षा, संस्कार का प्रभाव

मेरा ध्यान पुलिस के स्वभाव, आचरण क्रियाकलाप पर केंद्रित रहने लगा। एक एफआईआर लिखाने गया। वहां लोगों से रुपये लिए जाते थे। मुझे देखकर अधिकारी बोले—"डाक्टर साहब, आप इसकी छायाप्रति ले आए हैं। इससे मुझे बहुत सहूलियत रहती है।" यह कहकर उन्होंने दूसरी प्रति पर पत्रांक एवं तिथि देकर लौटा दिया।

मुझे अपनी पत्नी के पासपोर्ट का नवीनीकरण करवाना था। पचास न खड़े थे। मैं दारोगा के पास गया। मेरी खोजी दृष्टि इधर-उधर फिरने लगी। मैंने देखा कि उनकी टेबिल पर टी.एस. इलियट का 'द बेस्ट लैंड' पुस्तक रखी थी। मैं अपने काम के बारे में निश्चिंत हो गया। मेरी समस्या पर उनकी टिप्पणी थी कि "आपकी धर्म पत्नी प्रोफेसर साहिबा यहां एक क्षण के लिए तशरीफ रखें। बस सारी औपचारिकता पूरा हो जाएगी।" फिर मैंने उन्हें इस पत्रिका के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे तीन-चार अंक लिये और अपने विभाग के लिए भी चंद भिजवाया। जब मिलते पत्रिका की चर्चा करते।

इस पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ती गई। जो विभागीय बंधु सुनता/पढ़ता/ खुश होता/प्रभावित होता। मेरी शोधपरक दृष्टि इस ओर केंद्रित होने लगी। तत्कालीन दो समस्याएं बड़ी विकट थीं वैसे वे आज भी उसी भयावहता के साथ मौजूद हैं वे हैं—सांप्रदायिक दंगे और बलात्कार। मैंने इन विषयों पर दो-तीन लेख लिखे पर मेरा शोधदृष्टि संतुष्ट नहीं हुई। अध्ययन, शोध जारी रहा।

श्री विभूति नारायण राय असम में एस.पी. थे। एक पत्रिका के संपादक थे। मैं उस पत्रिका में लिखा करता था। वे तब शायद महानिदेशक हो गए थे और सरकार की शोधावृत्ति पर दो वर्षों के लिए सांप्रदायिक दंगों पर शोधवकाश में था। वह अपने अनुसंधान का अंश प्रकाशित करवाते थे। मैं उसे ध्यान से पढ़ता था। एक दिन पता चला कि उनका शोध-निष्कर्ष किताबघर प्रकाशित हो गया है 'सांप्रदायिक दंगे और पुलिस।' संयोग से धनबाद में ही आयोजित पुस्तक मेले में वह मिल गई। अब उसे पढ़कर दंगों के भीतरी सच को समझने की दृष्टि विकसित हुई और उसका भरपूर उपयोग 'पुलिस विज्ञान' के लिए होने लगा। मुझे अपार खुशी होती कि मैं इस दिशा में प्रामाणिक, अनुभवजन्य और ऐतिहासिक कार्य कर रहा हूं। इसके लिए नोट लेता था।

बीच-बीच में पुलिस विभाग तथा अन्य विभाग के लोग भी पत्रिका में रुचि लेते। लेखों की प्रामाणिकता पर चर्चा होती। मुझसे प्रश्न पूछे जाते और मैं उन्हें समझाकर आश्वस्त कर प्रसन्न होता। यह मेरे अध्ययन, लेखन को संबल देता।

'पुलिस विज्ञान' में मैंने बलात्कार पर सिद्धांत घटना, निजी तर्क, इतिहास आदि के आधार पर दो-तीन लेख लिखे पर उससे संतोष मिला नहीं। तब किताबघर की प्रकाशन-सूची में प्रो. मीनाक्षी स्वामी की किताब 'बलात्कार पीड़िता और पुलिस' पर ध्यान गया। मैंने

तत्काल प्रेस जाकर किताब खरीद ली और रात में पढ़ गया पूरी किताब एकदम में। उनका निष्कर्ष है कि बलात्कार के अस्सी प्रतिशत मामले पुलिस की लापरवाही और उदासीनता के कारण दबा दिए जाते हैं। उपेक्षित होते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता। स्थान, तिथि, समय, दोषी, भुक्तभोगी, पुलिस की भूमिका आदि का प्रामाणिक विवरण है वहां। इससे मेरी दृष्टि का विकास हुआ और उस पर नए सिरे से सोचने-विचारने लगा। अन्यत्र भी लेख लिखने लगा।

तब इंजीनियरिंग कालेजों (वह प्राइवेट ही होता था, बपौती, मिलिकयित) में कपिटेशन फीस की धूम मची थी टी.वी. पर दिखाया गया कि प्रवेशार्थी ने पांच लाख प्रबंधक को दे दिए। न कोई रसीद, न प्रमाणपत्र। पूछने पर उसने बताया कि "यहां घबराना नहीं है। मेरा नाम लिखाया जाएगा। दो नंबरी काम पूरी ईमानदारी से होता है।" मैं आश्चर्य था दो नंबरी काम की विश्वसनीयता पर मैंने 'पुलिस विज्ञान में' इस पर बारह पृष्ठों का लेख लिखा। लोगों ने मुझे शाबाशी दी।

तात्पर्य यह है कि 'पुलिस विज्ञान' की महत्ता उपादेयता, उपयोगिता पर विशाल ग्रंथ बनना चाहिए। बस आवश्यकता है इसके व्यापक प्रचार प्रसार की । नए-नए लेखकों को आमंत्रित करना, विषय का अग्रिम प्रस्ताव भेजना। पत्रिका की समीक्षा कराना। समानधर्मा विषय (न्याय शास्त्र, अपराध शास्त्र, नीतिशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान) के पंडितों से संपर्क कर उनका सारस्वत अवदान लेना। पत्रिका की समीक्षा कराते रहना। पत्रिका को संभावित लेखकों को भेजते रहना। वैसे इसकी उपयोगिता, अनिवार्यता 'हरिकथाअथंता' की तरह व्यापक है। इससे जुड़े संपादक, अधिकारी, लेखक कोटि कोटि साधुवाद के अधिकारी हैं।

भारत में पुलिस सुधार : राजस्थान पुलिस के विशेष संदर्भ में

जालम सिंह
पीएच.डी. स्कालर, लोकप्रशासन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

भारत में पुलिस सुधारों का विषय भारी समकालीन सरोकार का विषय है और किसी भी काल के लिए वैध है। आजादी के बाद पिछले कुछ दशकों में पुलिस प्रशासन में सूक्ष्म और प्रच्छन्न परिवर्तन भी आए हैं और स्पष्ट परिवर्तन भी। इनमें से कुछ के फौरन परिणाम निकले हैं तो अनेक का लंबा परिपक्वता काल रहा है; कुछ परिवर्तन राजनीतिक नीति और ढांचे के बुनियादी परिवर्तनों की और कुछ मामूली हस्तक्षेपों और महत्व में हुए परिवर्तनों की उपज है। बहुत से लोग तो यह कहेंगे कि परिवर्तन बहुत धीमा रहा है और दूरगामी नहीं रहा है, क्योंकि सेवाओं का लक्ष्यवर्ग और ग्राहक 1947 के मुकाबले आज बहुत अधिक सजग और मुखर है, और वे जल्दी में हैं।

सरकार के अंदर सचमुच अधिक प्रशासनिक प्रभाविता और संवेदनशीलता लाने के लिए पुलिस प्रशासन संबंधी कुशलताओं को प्रबंध की आधुनिक तकनीकों से समन्वित करने के प्रयास के साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। जो थोड़े से लोग किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके हैं या गहन प्रशिक्षण पा चुके हैं उनमें वृत्तिक विशेषज्ञता मौजूद हैं, मगर जो कुछ उपलब्ध है वह पुलिस प्रशासन के तीव्र गति परिवर्तनों और नई-नई समस्याओं, मुद्दों और प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है—भारतीय व्यवस्था की अनोखी और खास विशेषताओं को निपटाने के लिए आवश्यक विशेष ध्यान और सतर्कता की बात तो जाने दें। फिर प्रौद्योगिकी का सवाल भी तो है जो निर्णय-प्रक्रिया में तेजी ला सकती है, पलक झपकते में संदेश भेज सकती है और अनेक पन्नों की सामग्री को एक छोटे से डिस्क में समा सकती है; ये तो प्रगति के बस थोड़े से क्षेत्र है निर्णयों में तेजी लाने तथा भ्रष्टाचार और कागज-कलम की बर्बादी को कम करने की क्षमता जिन नई विधियों और प्रौद्योगिकी में मौजूद है, उन्हें अपनाने के बारे में हम भारत के लोग कहां खड़े हैं?

स्वाधीनता से पहले के पुलिस सुधार

ऐसा नहीं है कि आजादी मिलने के फौरन बाद पुलिस सुधारों की बात एकाएक सोची जाने लगी। वास्तव में देश का पुलिस प्रशासन अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने के उपाय ढूंढ़ने की कोशिश अंग्रेज भी करते रहे हैं, खासकर 1858 में ईस्ट इण्डिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सम्राट को सत्ता के हस्तांतरित होने के बाद। अनेक गवर्नर-जनरल और बाद के गवर्नर-जनरल उर्फ वायसराय बहुत उद्यमी और दूरदृष्टि संपन्न थे। उन्होंने जो प्रशासन संभाला, उसे सुधारने के बहुत गंभीर प्रयास किये। 1861 का पुलिस कानून V जिसके अनुसार हर प्रांत में पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक पुलिस विभाग स्थापित हुआ; आपराधिक गुप्तचरी की एक शाही शाखा का निर्माण किया गया, साथ ही साथ 1860 में एक पुलिस आयोग गठित किया गया जिसके फलस्वरूप 1861 में एक नया पुलिस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। स्वाधीनता से पूर्व भारत में पुलिस सुधार के निम्नलिखित प्रयास किए गए—

1. प्रथम पुलिस आयोग (एम.एच.कोर्ट आयोग) 1860
2. भारतीय पुलिस अधिनियम 1861
3. द्वितीय पुलिस आयोग (ए.एच.एल. फ्रेजर आयोग) 1902-03

स्वाधीनता के बाद के पुलिस सुधार

आजादी के बाद पुलिस प्रशासन में बहुत से परिवर्तन आये; जनता की जागरूकता और आकांक्षाओं में वृद्धि हुई; नये विकास कार्यों के साथ-साथ एक लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी के नये लक्ष्य के साथ सरकार के कामकाज का स्तर बहुत बढ़ा। भारतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया। 1975 के आपातकाल के बाद पुलिस सुधारों के लिए श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सरंचना निम्न प्रकार थी :—

1. श्री धर्मवीर (पूर्व राज्यपाल) : अध्यक्ष

2. न्यायमूर्ति एन.के. रेड्डी (पूर्व न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय) : सदस्य

3. श्री के. एफ. रूस्तमजी (पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एवं गृह मंत्रालय के पूर्व विशिष्ट सचिव, मध्यप्रदेश) : सदस्य

4. श्री एन.एस. सक्सेना (पूर्व पुलिस महानिरीक्षक उत्तरप्रदेश, महानिदेशक सीआरपीएफ एवं तत्कालीन सदस्य संघ लोकसेवा आयोग) : सदस्य

5. प्रो. एम.एस. गोरे (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई) : सदस्य

6. श्री सी.वी. नरसिम्हन (तत्कालीन निदेशक सीबीआई) : पूर्णकालिक सदस्य-सचिव

इस आयोग ने 1979-81 की अवधि में कुल आठ रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रथम रिपोर्ट :— फरवरी 1979 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई है :—

1. पुलिस विभाग द्वारा शिकायतों पर पूछताछ।

2. शिकायतों में न्यायिक जांच का प्रावधान।

3. जिला पूछताछ प्राधिकरण का गठन।

4. राज्य स्तर पर एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो राज्य स्तर पर शिकायतों का एक कमेटी के माध्यम से निपटारा करेगा।

द्वितीय रिपोर्ट :— अगस्त 1979

द्वितीय रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशे की गईं :—

1. आपराधिक न्याय आयोग का गठन किया जाना चाहिये।

2. पुलिस की भूमिका।

3. पुलिस के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप।

4. पुलिस के मुखिया की नियुक्ति एवं कार्यकाल।

5. स्थानांतरण एवं निलबंन।

तृतीय रिपोर्ट :— जनवरी 1980

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं—

1. पुलिस एवं अलाभान्वित समूह।

2. अधिकारियों का पदस्थापन।

3. गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश।

चतुर्थ रिपोर्ट :— जून 1980

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं—

1. एफआईआर का पंजीकरण।

2. गवाह परीक्षण।

3. गवाहों के बयान।

4. चुराई हुई संपत्ति को लौटाना।

5. अपराधों का प्रशमन।

6. गिरफ्तारी का संचार।

7. अभिरक्षा में दुराचरण में कमी।

पंचम रिपोर्ट :— नवंबर 1980

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं—

1. पुलिस भर्ती।

2. जिला मजिस्ट्रेट का नियंत्रण।

3. पुलिस आचरण।

4. अपराध के शिकार।

5. पारदर्शिता।

6. महिला पुलिस अधिकारीगण।

षष्ठम रिपोर्ट :— मार्च 1981

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं—

1. वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति।

2. भारतीय पुलिस सेवा केडरों का निर्माण।

3. बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था।

4. सांप्रदायिक दंगे।

5. आरक्षण के संबंध में।

6. कानून व्यवस्था एवं अन्वेषण कार्यों में पृथकता।

सप्तम रिपोर्ट :— मई 1981

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गयी—

1. पुलिस थानों का स्टैडर्ड।

2. पुलिस पदसोपान।

3. आंतरिक प्रबंध।

4. राज्य शस्त्र बटालियन।

5. केंद्रीय पुलिस कमेटी की स्थापना।

6. अखिल भारतीय पुलिस संस्थान की स्थापना।

अष्टम रिपोर्ट :— मई 1981

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गयी—

1. कार्य प्रदर्शन की जवाबदेही।

2. अभियोजन से सुरक्षा की वापसी।

3. पुलिस एक्ट का संस्थापन।

पुलिस आयोग द्वारा जो उपरोक्त सिफारिशें की गई हैं, उसकी पालना सरकार द्वारा आज तक नहीं की गई है। हाल ही में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस सुधारों पर की गईं सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली में गृहमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। उसमें केवल आठ राज्यों के मुख्यमंत्री ही शामिल हुए। इस प्रकार राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में पुलिस सुधारों की बात करना एक बेईमानी होगी। हमारे देश की राजनीतिक सत्ता पुलिस को एक स्वायत्तशासी अभिकरण बनाने में हिचक दिखा रही है। इसका कारण यह है कि यदि पुलिस को स्वतंत्र किया गया तो राजनीतिज्ञों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएगी जिससे राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने में नाकाम हो जाएंगे।

भारत में पुलिस सुधारों का अर्थ

पुलिस सुधारों से अर्थ—पुलिस तंत्र की संरचना, कार्यप्रणाली एवं व्यवहार में सुनियोजित पद्धतियों से परिवर्तन किए जाने से हैं। जिनसे पुलिस की छवि, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता में वांछित सुधार हो सके। किरण बेदी के शब्दों में—"पुलिस सुधार से मेरा तात्पर्य सत्य को वास्तविक रूप में बोलने, लिखने, दर्ज करने और प्रस्तुत करने से है।"

पुलिस सुधारों को अन्य प्रशासनिक सुधारों की भांति दो भागों में बांटा जा सकता है—

1. संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक सुधार—इस श्रेणी में वे सुधार आते हैं जो पुलिस विभाग तथा इसकी यूनिटों के ढांचे, कार्यक्षमता तथा संगठन की अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं।

2. व्यवहारात्मक सुधार—इस श्रेणी में उन सुधारों को सम्मिलित किया जाता है जो पुलिस के व्यवहार (आचरण), मनोबल, मनोवृत्ति, जनसंपर्क, संवेदनशीलता तथा जवाबदेयता से संबंधित होते हैं।

भारत सरकार ने पुलिस सुधारों की बाईबिल के रूप में विख्यात इन पुलिस सुधारों को लागू न कर अन्य आयोग एवं समितियों का गठन किया जिसमें रिबैरो समिति (1998-99), पद्मनाभैया समिति (2000), वी.एस. मल्लिमथ समिति इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की लोकव्यवस्था पर पांचवीं रिपोर्ट जून 2007 भी पुलिस सुधारों की कड़ी में महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।

ब्रिटेन की पुलिस से हमें क्या सीखने की जरूरत है?

मैं पुलिस पोस्ट, पुलिस समाचारों की पत्रिका के उद्धरण को यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जिससे भारतीय पुलिस सीख लेकर अपने में सुधार कर सकती है। इस उद्धरण के विद्वान लेखक अभिताभ ठाकुर जो यूपी कैडर

के आईपीएस अधिकारी हैं और मेरठ में आर्थिक अपराध शाखा में बतौर पुलिस अधीक्षक पदस्थ हें। दो साल पहले पुलिस प्रशिक्षण के सिलसिले में इंग्लैंड गए थे, उस वक्त लिखे गये इस लेख के कुछ उद्धरण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं—

उन्होंने लिखा है कि हमें इस रूप में ग्रेटर मैनचेस्टर के रोशडेल और बरी इलाके की पुलिस से रूबरू होने और उसके साथ संपर्क में आकर उसकी स्थितियों-परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करने का अवसर मिला, जिसने हमें बता दिया कि हम वास्तव में अभी ब्रिटेन से कई मामलों में अभी काफी पीछे हैं। जब हम रोशडेल डिविजन हेडक्वार्टर में गए तो हमें लगा जैसे कि हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आ गए हों। पांच-छह मंजिला इस बड़ी सी इमारत में रोशडेल पुलिस के सभी विंग्स के दफ्तर है लेकिन यह हमारे किसी भी जिले, रेंज और जोन के कार्यालयों से बहुत विशाल है।

पूरा मैनचेस्टर शहर ऐसे बारह डिविजन में बंटा है। दफ्तर के बाहर हमें पुलिस की कम से कम डेढ दर्जन सरकारी गाड़िया नजर आती हैं, जो आज के जमाने की बेहतरीन गाड़ियां हैं। इनमें मर्सिडीज भी है, वोल्वो भी, मिनी बस और बड़ी बसें भी, कई तरह के ट्रक भी, बख्तरबंद गाड़ियां भी इसके अलावा अलग-अलग किस्म की कई प्राइवेट कारें पुलिस ऑफिस कैंपस में खड़े हैं, जो वहां काम करनेवाले कर्मचारियों की हैं, यदि में मैं इस दफ्तर की तुलना अपने देश की पुलिस व्यवस्था से करूं, तो इसे एक तरह से एस.एस.पी. के दफ्तर की तरह माना जा सकता है, पर दोनों जगहों के साधन-संशाधन में जमीन-आसमान का अंतर है।

यह तो हुई बाहर की स्थिति, अब यदि दफ्तर में अंदर चलते हैं तो न जाने कितने सारे बड़े और छोटे कमरे नजर आते हैं जिनमें चुस्त-दुरस्त कपड़े पहने पुरुष और महिल पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते दिख रहे हैं। इस पूरे दफ्तर के मुखिया चीफ सुपरिंटेडेंट रेंक के अधिकारी है और उनके अधीन एक सुपरिंटेडेंट, कुछ चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, कई सार्जेंट और बहुतायत में कांस्टेबल काम करते हैं। पूरे ब्रिटेन में भर्ती केवल कांस्टेबल स्तर पर ही होती है और इन्हीं में से कुछ लोग आगे चलकर पदोन्नति पाते हुए ऊपर के पदों पर आते हैं। यदि इनकी तुलना भारत के कांस्टेबलों से की जाए तो यह लगेगा कि वहां का कांस्टेबल यहां के सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से बेहतर है। उनमें आत्मसम्मान की गहरी भावना साफ परिलक्षित भी हो जाएगी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारा स्वागत करने एक सार्जेंट और एक कांस्टेबल आए थे पर दोनों की स्मार्टनेस और कॉन्फीडेंस देखने योग्य थी। इसी तरह की स्थिति उस डिविजन के डेली-क्राइम मीटिंग में भी देखने को मिली, जहां चारों तरफ कम्प्यूटर बिखरे पड़े थे और उन पर हर रैंक के अधिकारी बैठे हुए थे। डेली-क्राइम मीटिंग लगभग एक घंटे की होती है। जिसमें ग्रेटर मैनचेस्टर के चीफ कांस्टेबल, ऑफिस के अधिकारी डिवीजनल ऑफिस के साथ बीते दिन का ब्योरा देखते हैं और आनेवाले दिन की रणनीति बनाते हैं।

हमें उस क्राइम-मीटिंग में उनका कामकाज देखने का मौका मिला और हमने देखा कि जहां डिविजनल ऑफिस का चीफ सुपरिंटेडेंट खड़ा है वहीं बाकी सभी लोग आराम से कुर्सियों पर बैठे हैं। कोई डांट-डपाट या गंभीरता नहीं है। अफसरों के चेहरे पर हंसी और आराम के भाव स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे भारत में मानसिक स्थिति इसके विपरीत है जिससे पुलिस में आवश्यक परफोर्मेंस की कमी रहती है।

भारत में पुलिस में ब्रितानी व्यवस्था को अपनाया गया है। 1861 का पुलिस एक्ट हमारे देश में अभी भी लागू है। अर्दली व्यवस्था के तहत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों एवं बंगलों में बहुतायत की संख्या में कांस्टेबल कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं जबकि पुलिस आयोग ने अर्दली व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की है। भारत में अक्सर नौकरशाही

की प्रवृत्ति अपने आकार को बढ़ाने की रही है। पार्किंसन के नियम के अनुसार यहां की नौकरशाही की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपने आकार को और अपने सदस्यों की संख्या को निरंतर बढ़ाती हुई चलती है। पचास वर्ष पहले नौकरशाही का जो आकार था आज सभी देशों में उसका आकर दोगुना हो गया है। अपनी प्रभावी शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य अधिक न होने पर भी नौकरशाही अपने आकार में वृद्धि करती जाती है।

आज थानों में हम देखते हैं कि कांस्टेबलों का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे एल.सी. कहा जाता है, धीरे-धीरे अपनी जमात में वृद्धि कर रहा है। वह थानाधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमकर अपना समय व्यतीत कर रहा है। नए रिक्रुट्स को बिना प्रशिक्षण ही गश्त में भेज दिया जाता है और यह जमात अपने घरों में जाकर सो जाती है। इस प्रकार हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि आमजन की जानमाल की सुरक्षा वास्तव में पुलिस करती है या नहीं।

राजस्थान में पुलिस सुधार

राजस्थान में पुलिस सुधारों की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में पुलिस प्रशिक्षण के लिए गठित गोरे समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप हुई। राजस्थान में पुलिस में प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी की शुरुआत की गई तथा पुलिस पुनर्गठन के लिए राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 1973 में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक श्री गणेश सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने राजस्थान पुलिस के पुनर्गठन के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। प्रशिक्षण में कई प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये तथा अलग से पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) का पद 1980 में सृजित किया गया। वर्तमान में पुलिस सुधारों की कड़ी में निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं—

1. सामुदायिक पुलिस की स्थापना
2. पुलिस प्राथमिकताओं का निर्धारण
3. केस-ऑफीसर स्कीम
4. प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना
5. महिला पुलिस थानों की स्थापना
6. स्टुडेंट पुलिस कैडेट योजना
7. पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना
8. पुलिस आयोग का गठन
9. पुलिस कल्याण बोर्ड का गठन
10. पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली

इन सब पुलिस सुधारों के पीछे पुलिस के निंदनीय कृत्य कारण रहे हैं। पुलिस द्वारा आम जन की पिटाई, मानवाधिकारों का हनन आदि कई कारकों ने राजस्थान पुलिस को सुधार के लिए विवश किया। राजस्थान पुलिस में जो सुधार संरचनात्मक रूप से किये गये हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

1. **प्रशिक्षण**—राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित किये जानेवाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं—

क्र.स.	विवरण	अवधि
1.	भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन)	06 सप्ताह
2.	राजस्थान पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन)	51 सप्ताह
3.	उपनिरीक्षक (परिवीक्षाधीन)	52 सप्ताह
4.	उपनिरीक्षक (संवर्ग परिवर्तन)	12 सप्ताह
5.	उपनिरीक्षक (पूर्व सैनिक)	26 सप्ताह
6.	सहायक उपनिरीक्षक (परिवीक्षाधीन)	52 सप्ताह
7.	कांस्टेबल (नवीन भर्ती)	36 सप्ताह
8.	महिला कांस्टेबल (नवीन भर्ती)	24 सप्ताह
9.	कांस्टेबल (सशस्त्र पुलिस) (नवीन भर्ती)	36 सप्ताह
10.	कांस्टेबल-बैण्ड (नवीन भर्ती)	26 सप्ताह

इसके अलावा बहुत सारे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सवर्ग पदोन्नति पाठ्यक्रम एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

2. **आवास**—पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मापदण्डों के अनुरूप आवास निर्माण का कार्य राजस्थान पुलिस में वर्तमान में किया जा रहा है। 10000 नए पुलिस क्वार्टर्स का पुलिस लाइनों एवं थानों

में निर्माण किया जा रहा है।

3. **पदोन्नति**—राजस्थान पुलिस में वरिष्ठता के आधार पर पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया जारी है। अच्छे सेवा-रिकार्डवाले पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति दी जा रही है।

4. **साजो-सामान का आवंटन**—राजस्थान पुलिस की किट-बुक के अनुसार पुलिस कर्मियों को साजो-सामान दिया जा रहा है।

5. **थानों में एफ.आई.आर का रजिस्ट्रेशन**—पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार के आदेशानुसार पुलिस थानों को एफ.आई.आर. के निर्बाध रजिस्ट्रेशन के आदेश दिए गए हैं। आमजन की एफ.आई.आर. अविलंब दर्ज की जा रही है और उसकी प्रति पीड़ित को समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

6. पुलिस कांस्टेबल को पुलिस प्राथमिकताओं में सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री ए.एस. गिल के स्थायी आदेश के अनुसार इन्हें चरित्र सत्यापन का कार्य सौंपा गया है जो कांस्टेबलरी वर्ग बखूबी निभा रहा है। बीट-बुक का संधारण करके अपराधों में कमी के प्रयास किये जा रहे हैं।

7. फरार एवं उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किये गये हैं।

8. पुलिस अधिनियम 2007 के तहत धारा 60 के तहत पुलिस द्वारा सड़कों पर घटित अपराधों में कमी लाने के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं।

9. आमजन को पुलिस की शिक्षा देने के लिए राजस्थान के जोधपुर शहर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसमें पुलिस विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोकनीति, अपराध विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जा रही है।

10. केस-ऑफीसर स्कीम के तहत पंजीकृत मामलों को सही समय पर निपटाया जा रहा है।

11. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह, सेमीनार, प्रतियोगिता आदि का आयोजन विद्यार्थियों को सड़क नियमों की जानकारी देने के लिए समस्त राजस्थान में किया जा रहा है।

12. स्टुडेंट-पुलिस कैडेट योजना जो केरल पुलिस की तर्ज पर शुरू की गई है उसकी कड़ी में छात्र-छात्राओं को पुलिस संबंधी प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा समय पर दिया जा रहा है तथा प्रारंभिक रूप से इसके आशातीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

13. सामुदायिक पुलिस की अवधारणा के तहत आमजन में विश्वास कायम किया जा रहा है। विभिन्न त्योहारों, समारोह के दौरान समाज के प्रबुद्ध वर्गों का पुलिस को सहयोग मिल रहा है।

14. पुलिस जन सहभागिता योजना के तहत यातायात व्यवस्था आदि का संचालन किया जा रहा है।

यद्यपि राजस्थान पुलिस की समग्र छवि तथा परंपरागत कार्यप्रणाली को किसी एक उपाय से यकायक सुधारना संभव नहीं है तथापि कतिपय उपायों को एक साथ लागू करने से पुलिस क्षमता वर्द्धन में सहायता अवश्य मिल सकती है। पुलिस प्रशासन में कार्य विभाजन, भर्ती तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके पुलिस तंत्र में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं—

1. यह सुझाव विभिन्न आयोगों एवं समितियों विशेषकर मल्लिमथ समिति तथा अन्य समितियों द्वारा दिया जा रहा है कि एक ही पुलिस सामान्य (कानून व्यवस्था) कार्यों तथा अभियोजन-न्यायिक कार्यों में लगी रहती है। अच्छा यह होगा कि पुलिस के दो हिस्से करके पृथक-पृथक जिम्मेदारियां दी जाएं। वर्तमान व्यवस्था में एक ही पुलिस थाना अपराधों की छानबीन, कानून व्यवस्था, साधारण न्यायालय के चालान प्रस्तुति, अपराधियों की अभिरक्षा, सम्मन तामील, यातायात नियमन तथा चौकसी एवं वीआईपी सुरक्षा (प्रोटोकाल) इत्यादि कार्य करता है।

दरअसल आज का दौरा विशेषज्ञता तथा तकनीकी ज्ञान का है। पुलिसकर्मियों को भी उनकी रुचि

अनुसार विशेषज्ञ एवं पेशेवर बनना पड़ेगा। जब एक कांस्टेबल सुबह अपराधी को अदालत ले जाता है, दोपहर में जाकर रास्ता खुलवाता है, साथ ही अपराधों की गुत्थी सुलझाने हेतु अन्वेषण अधिकारी के साथ जाता है तथा रात्रि में अपराधी में मुठभेड़ में शामिल होता है। वह किसी भी भूमिका से न्याय नहीं कर पाता है।

राजस्थान पुलिस में आज तक जितने भी सुधार हुए हैं वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। पुलिस में दिनोदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हाल ही में अजमेर के एस.पी. को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो उसमें दलाल रामदेव ठठेरा से थानाधिकारियों के मार्फत पुलिस अधीक्षक की बंधी की बात सामने आई और वह सत्य सिद्ध हुई। साथ में अन्य बारह थानाधिकारी भी इस बंधी-प्रकरण में दोषसिद्ध हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी भ्रष्टाचार के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस प्रकार पुलिस विभाग की प्रत्यक शाखा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों में चाहे चालान-बुक का जारी किया जाना हो, चाहे चरित्र सत्यापन का कार्य हो, सभी में भ्रष्टाचार की बू आती है। आज देश में चारों ओर पुलिस सुधारों की मांग उठ रही है। भारत सरकार की जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का क्रियान्वयन करने का राजस्थान पुलिस को निर्देश दिया गया है। उस निर्देश के अनुसार पालना नहीं की जा रही है। हाल ही में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन के दौरान राज्य की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि जोधपुर एवं जयपुर संभाग में जनरल अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। भरतपुर, अलवर में अपराधों की स्थिति चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। आर्थिक, साईबर और पर्यटन में अपराधों की वृद्धि हुई। महिलाओं के प्रति अपराधों में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई।

माननीय मुख्यमंत्री के सम्मेलन के मुख्य मुद्‌दे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों का भ्रमण, चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई आदि मुख्य मुद्‌दे रहे। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये। श्री गुलाबचंद कटारिया, माननीय मंत्री ग्रमीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य में पुलिस एक्ट 2007 पूर्ण रूप से लागू किया जाए। पुलिस की ट्रेनिंग एवं मानीटरिंग कर्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित की। श्री कैलाश मेघवाल माननीय मंत्री खनिज विभाग ने सुझाव दिया कि पुलिस बीट व्यवस्था में सुधार किया जाए। श्री राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव दिया कि भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और आठ हजार लापता बच्चों की तलाश त्वरित रूप से की जाए तथा जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं पुलिस कर्मियों के कल्याण के संबंध में अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये।

वर्तमान में हम पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था पर एक नजर डालें तो हमें यह देखकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक युग में पुलिस अपनी कांस्टेबलरी को किस प्रकार प्रशिक्षित करती है? सर्वप्रथम प्रशिक्षण केंद्र में आमद करवाने पर रिक्रुट्स को सबसे महत्त्वपूर्ण जो चीज खरीदवाई जाती है वह है बाल्टी और झाड़ू। इस प्रकर हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि पुलिस का यह सिपाही आमजन के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करेगा। उसे प्रशिक्षण में कई प्रकार की शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं जिसमें राईफल ऊपर करके दो-दो घंटे तक दौड़ाना, गर्मी में कई घंटे खड़ा करना, सिर पर बक्सा रखकर दौड़ाना तथा साथ ही अमर्यादित भाषा का भी उसे सामना करना पड़ता है।

आज देश में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस के पास प्रशिक्षित जन का अभाव है। केंद्र सरकार द्वारा 2000 करोड़ की आर्थिक सहायता देने के बावजूद पुलिस अपने को आनलाईन करने में असफल रही है। आज का युग सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, ई-

गर्वनेंस का युग है। इस युग में पुलिस का जो प्रशिक्षण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं—1. कम्प्यूटर की जानकारी, 2. संविधान की जानकारी, 3. भारतीय दंडसंहिता, दंडप्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राजनीतिक सुशासन, मानवाधिकार, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का समावेश होना चाहिए।

पुलिस के पास यदि हम साजोसामान पर दृष्टि डालें तो .303 बोर राईफल, पुराने घिसे-पिटे हथियार जो सेना द्वारा खारिज किये गये हैं वे पुलिस के पास अपने शस्त्रागार में उपलब्ध हैं। जबकि अपराधियों के पास एके 47, इन्सास आदि आधुनिक हथियार उपलब्ध हैं। वाहनों पर दृष्टि डालें तो पुलिस के पास खटारा बसें जिसके आगे-पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं होना, संकेतकों का अभाव, साइड ग्लास का अभाव हमें पुलिस की चलती गाड़ी में भी पता लग जाता है। साथ ही साथ वर्तमान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो पुलिस सुधारों की कड़ी में शुरू की गई है। उदाहरण के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में 37.09 फीसदी पुलिसकर्मियों की कमी है। रात्रि गश्त होमगार्ड के सहारे चल रही है। जिससे पुलिस की छवि खराब हो रही है।

जैसलमेर में नवनियुक्त अधीक्षक श्री विकास शर्मा ने जैसलमेर में आमजन को सुगम यातायात व्यवस्था देने के लिए यातायात शाखा जैसलमेर में पदस्थापित यातायात शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक को संबोधित करते हुए अपने उद्‌बोधन में कहा कि "यातायात शाखा, जिला पुलिस की सबसे महत्त्वपूर्ण शाखा है, जिसका जनता से सीधा संपर्क रहता है। यातायात शाखा से ही पुलिस की अच्छी एवं बुरी छवि का पता चलता है। ऐसे में इस पर विशेष ध्यान देते हुए यातायात शाखा में पदस्थापित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी विशेष ध्यान देते हुए आमजन को सुगम, बेहतर और सुदृढ़ यातायात व्यवस्था देने के लिए ध्यान दे।"

अतः पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए राजस्थान सरकार का यह कर्तव्य है कि तुरंत प्रभाव से पुलिस आयोग (धर्मवीर) की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाए ताकि वास्तव में पुलिस समावेशी, उत्तरदायी, उत्तरदायी, कौशल आधारित, न्याय आधारित, जनमित्र पुलिस बन सके और वह कैकय देश के एक आर्य नरेश के शब्दों में कह सके कि—

न मे स्तेनो जन पदे न कदर्पो न मद्यपः।
नानाहिताग्निर्ना विद्धान न स्वैरो स्वैरिणीकृतः।।

संदर्भ ग्रंथ :—

1. भारत में लोक प्रशासन, पद्‌मा रामचंद्रन, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 2011

2. राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979-81 की रिपोर्टस

3. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का साहित्य

4. भारत में लोक प्रशासन, डा. बी.एल. फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा, 2010

5. राजस्थान पत्रिका

6. द पुलिस पोस्ट (पुलिस समाचारों की पत्रिका) जून 2013

7. संयुक्त शासन सचिव राजस्थान सरकार के आदेश

समझौता करके भी सजा पाएगा बलात्कारी

मनीष कुमार संतोष
36/350 त्रिलोकपुरी, दिल्ली—110091

28 दिसंबर, 1995 को हरियाणा के नारनौल में शिंभू और बालू राम नामक दो युवक 16 वर्षीया एक नाबालिग लड़की को अपने साथ दुकान में ले गए और वहां उसे दो दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। उसके पश्चात उन्होंने लड़की को छोड़ दिया। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया। निचली अदालत ने 31 मार्च, 1998 को दोनों को दोषी मानते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। इस बीच लड़की ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली और उसके चार बच्चे भी हुए। आरोपियों ने पीड़िता से समझौता कर सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की याचिका दाखिल की।

उन्होंने शपथपत्र में कहा कि पीड़िता की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो चुकी है। वह ससुराल में अपने पति के साथ सामान्य जीवन बिता रही है। उसे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि अदालत अपराधियों की सजा कम कर दे या जेल में बिताए गए समय के बराबर सजा देकर उन्हें बरी कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस आधार पर किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया। साथ ही कहा कि समझौते के आधार पर दिया गया शपथ पत्र सजा कम करने के लिए मान्य नहीं हो सकता। इसलिए अपराध के अनुसार तय सजा मिलनी ही चाहिए।

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन) 2013 के अनुसार भी महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए बलात्कार के अपराध में सजा कम करना न्यायोचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी.सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी भी अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा दी जाती है। जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, केस की सुनवाई में लगे समय, बलात्कारी द्वारा पीड़िता को शादी का प्रस्ताव या पीड़िता की शादी, ये सब वे सोशल फैक्टर नहीं हैं जिनके आधार पर सजा में कमी की जाए। सोशल फैक्टर का इस्तेमाल रूटीन में नहीं होता।

अप्रैल 2013 के बाद के मामलों में प्रभावी नहीं

बलाकार के मामले में समझौते को लेकर 27 अगस्त, 2013 को दिए इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट नें साफ कर दिया कि बलात्कार पीड़िता और दोषी के बीच समझौते का कोई अर्थ नहीं है। यदि दोषी पीड़िता से शादी करने की पेशकश करे या शादी कर भी ले तो भी वह बलात्कारी ही रहेगा और उसे उसके अपराध के लिए न्यूनतम निर्धारित सजा दी जाएगी। उसकी सजा को किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बलात्कार के मामलों में यदि दोनों पक्षों में समझौता हो तो आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत अदालत को अपने विवेक का इस्तेमाल कर सजा को न्यूनतम सजा से कम नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अदालत को अधिकार मिला हुआ है।

किंतु साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अप्रैल 2013 के बाद हुए अपराधों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि आपराधिक कानून (संशोधन) एक्ट 2013 में सजा कम करने के लिए जज को दिए विवेकाधिकार ही समाप्त कर दिए गए हैं।

लेकिन समझौते का तात्पर्य यह नहीं कि आरोपी को राहत देकर सजा कम कर दी जाए इस संदर्भ में सामाजिक यथार्थ की समझ और संवेदनशीलता की

दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलात्कार केवल उस पीड़ित स्त्री के विरुद्ध किया गया अपराध नहीं होता बल्कि यह समूचे समाज के खिलाफ किया गया अपराध है। यह एक अक्षम्य अपराध है जिसे समझौते से नहीं निपटाया जा सकता।

शारीरिक से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना

बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो पीड़िता को शारीरिक से ज्यादा मानसिक और सामाजिक स्तर पर ज्यादा प्रताड़ित करता है। उसकी ताउम्र वह ताडन पल-पल महसूस करती है। सामंती मूल्योंवाले समाज में अपराध का कलंक अपराधी से ज्यादा पीड़िता पर ही लगाया जाता है। कई मामलों में तो पीड़िता अवसाद से उबर नहीं पाती और आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाती है। या कहें तो सामाजिक दंश, अवहेलना और अवांछित होने का अहसास उन्हें इसके लिए विवश करते हैं।

बलात्कार का अपराध वास्तव में जानबूझकर किया गया अपराध है जिसके लिए अपराधी पहले से ही मानसिक तौर पर तैयार रहता है और बलात्कार की योजना बांध लेता है। ऐसे में इसे समझौता करने योग्य (अर्थात कंपाउंडेबल) तो कदापि नहीं कहा जा सकता। समाज के खिलाफ किया गया यह अपराध गैर-समझौतावादी है यानि अक्षम्य है और इसमें दो पार्टियों को समझौते के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। संभव है कि पीड़िता ने समझौते की सहमति किसी दबाव या अन्य कारण से दी हो, क्योंकि यह पता लगना भी मुश्किल होता है कि पीड़िता ने समझौता बिना किसी दबाव के किया है। आमतौर पर न्यायप्रणाली कोर्ट के बाहर ही विवादों को निपटाने पर जोर देती है ताकि न्याय व्यवस्था पर मुकदमों का बोझ न पड़े किंतु बलात्कार के मामलों में समझौतवादी सिद्धांत कारगर नहीं कहा जाएगा।

बढ़ते मुकदमों का बोझ कम करने के लिए ही अक्सर फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग भी की जाती है जो बलात्कार जैसे मामलों को जल्दी निपटाकर पीड़िता को त्वरित व निष्पक्ष न्याय दे सके अन्यथा भंवरी देवी (राजस्थान) जैसी कितनी ही पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ेगा।

क्यों होता है पीड़िता पर समझौते का दबाव?

बलात्कार पीड़िता शारीरिक से ज्यादा मानसिक व मनोवैज्ञानिक त्रासदी झेलती है। उसे अपना भावी जीवन अंधकारमय लगता है। वैवाहिक जीवन पर आशंका बनी रहती हैं। यदि पीड़िता अविवाहित हो तो वह बलात्कारी से विवाह करने को ही श्रेष्ठ विकल्प मानती है। यदि कारण है कि 10 में से 4 मामले ही पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं और उनमें भी पुलिस का दबाव रहता है कि मामले में समझौता करवा दिया जाए। चाहे वह बलात्कारी से विवाह करके हो या आर्थिक दृष्टि से क्षतिपूर्ति करके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। चाहे समझौता पुलिस करवाए या खाप पंचायत।

अप्रैल 2013 में उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की पंचायत ने एक बलात्कार पीड़िता को उसी व्यक्ति से विवाह करने का फरमान सुनाया जिसने उसका बलात्कार किया था। किंतु परिवारजन इसके खिलाफ पुलिस थाने पहुंचे तो वहां उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामला मीडिया में उछलते ही पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा।

2009 में इलाहाबाद में फकरीना गांव की पंचायत ने 25 वर्षीय बढ़ई को आदेश सुनाया था कि वह उस 21 वर्षीय पीड़िता से विवाह कर या फिर 15000 रुपयें दंड भरे। पंचायत ने महिला को यह भरोसा दिलाया कि यदि आरोपी उसे पत्नी के तौर नहीं रखता है तो वह उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है। इस अमानवीय और शर्मनाम निर्णय की सर्वथा घोर निंदा हुई थी।

यदि पीड़िता नाबालिग हो और पंचायत आरोपी को पीड़िता से विवाह का आदेश सुनाए तो विवाह

प्रायः न्यायालय द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। ऐसी ही एक घटना 2007 में नागपुर में घटी। आरोपी ने आरोपों को समाप्त करने के बदले में पीड़िता से विवाह का प्रस्ताव रखा। चूंकि पीड़िता नाबालिग थी इसलिए कोर्ट ने भी सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रखकर सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और दोनों के विवाह को मान्यता दे दी।

इसी प्रकार के कई मामले सामने आए हैं जिनमें रेपिस्ट ने बलात्कार के बाद सार्वजनिक तौर पर अपने कृत्य के लिए माफी मांग ली और पीड़िता से विवाह कर लिया या फिर आर्थिक रूप से हर्जाना भरकर मुक्त हो गए। समझौते के इस दंश में ऊपरी तौर पर पीड़िता की सहमति नजर आती है किंतु वास्तव में कोई विकल्प न देख पीड़िता और पीड़ित पक्ष को यह कड़वा घूंट पीना पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते है जैसे कि :—

• बदनामी के भय से पीड़िता का परिवार समझौते को मान लेता है।

• पीड़िता का भविष्य अनिश्चित और अंधकारमय जानकर पीड़ित पक्ष आरोपी से ही उसका विवाह कर देता है और यह सोचकर निश्चिंत होता है कि पीड़िता का घर बस गया किंतु पीड़िता को ताउम्र मिलने वाली पीड़ा को देखा नहीं जाता।

• पुलिस के नाकारात्मक रवैये और लंबी कानूनी लड़ाई के कारण पीड़ित पक्ष समझौते पर राजी हो जाता है।

• बदनामी से बचने के लिए पीड़िता और परिवार यह समझौता मान लेते हैं।

पुलिस और दोनों पक्ष सोचते हैं कि समझौता या विवाह कर उन्होंने पीड़िता के जीवन का उद्धार किया है किंतु इस उजाले की किरण के पीछे गहन अंधकारमय भविष्य छिपा रहता है। पीड़िता से विवाह करते ही रेपिस्ट समाज और कानून की नजरों में बरी हो जाता है, सजा से बच जाता है। कानून की दृष्टि में उसका अपराध कम हो जाता है। कई बार इसी बात का फायदा उठाकर आरोपियों ने निचली अदालतों को गुमराह किया और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दोषियों द्वारा जेल में बिताए गए समय को ही सजा करार देकर आरोपियों को बरी कर दिया। ऐसे निर्णय पीड़िता के प्रति अपमान और न्यायिक असंवेदनशीलता के परिचायक रहे हैं। ऐसे निर्णय आरोपियों को बच निकलने का सीधा रास्ता दिखाते हैं कि बलात्कार करो और समझौता कर बच निकलो। ऐसे निर्णय रेप को वैधता देते है और न्यायप्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं।

पीड़िता के मुकरने पर भी खत्म नहीं होगा दुष्कर्म का केस

समझौते से इतर यदि दुष्कर्म पीड़िता अपने बयान से मुकर भी जाए तो भी आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला बंद नहीं होगा किंतु शर्त यह है कि दुष्कर्म की मेडिकल आधार पर पुष्टि हो चुकी है। एक ऐसा ही निर्णय मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में दिया। जबकि एक अन्य मामले में हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने भी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के मामले को खारिज करने से इंकार कर दिया। ये दोनों फैसले हाई कोर्ट के न्यायाधीश टी. सुंदनथिरम ने दिए थे।

पहले मामले में दुष्कर्म के पांच आरोपियों ने इस आधार पर उनके खिलाफ चल रहे केस को खारिज करने की मांग की कि उन्होंने पीड़िता के साथ अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया है। किंतु कोर्ट ने मुकदमा निरस्त करने से मना कर दिया। हालांकि पीड़िता की चाची ने लिखित बयान दिया था कि त्रिचरापल्ली पुलिस ने दुष्कर्म का जो केस दर्ज किया था वह घटना कभी हुई ही नहीं थी। इस बायान पर जज ने भी हैरानी जताई थी। विरोधाभास के बावजूद उन्होंने कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए।

जबकि दूसरे मामले में केस को खारिज करने के

लिए डीएनए को आधार बनाया गया। वर्ष 2006 में दर्ज किए गए केस के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता किशोरी गर्भवती हो गई थी। ऐसे में किशोरी का दो बार डीएनए टेस्ट कराया गया जिसमें यह पुष्टि नहीं हो सकी कि गर्भ में पल रहा बच्चा आरोपी का है। किंतु कोर्ट ने इस आधार पर भी केस को खारिज नहीं किया और स्पष्ट किया कि डीएनए टेस्ट केवल एक चिकित्सकीय साक्ष्य है जो किसी भी मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संभव है कि बलात्कार इसी आरोपी ने किया हो किंतु पीड़िता ने किसी अन्य व्यक्ति से सहमति से गर्भधारण किया हो। निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक अलग फैसला था।

चाहे बलात्कार का आरोपी पंचायत के आदेश पर समझौता करे या सजा से बचने के लिए। या किसी अन्य तरीके से। किंतु किसी भी स्थिति में अब वह सजा से नहीं बच सकता। दूसरे, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आरोपी से शादी करके पीड़िता का आत्मसम्मान व जीवन सुरक्षित रहेगा। तीसरे इस बात की भी गारंटी नहीं कि एक बार बलात्कार के अपराध में सजा पाने के बाद अपराधी सुधर जाएगा और दूसरी बार बलात्कार जैसा घिनौना अपराध नहीं करेगा। यदि वह पुनः बलात्कार करता है तब उसकी सजा क्या होगी? शादी जो नामुमकीन होगी, समझौता या फिर सजा? क्या शादी करके पीड़िता आरोपी संग सहज जीवन बिता पाएगी?

ग्रामीण बनाम शहरी बलात्कार

बलात्कार को शहरी और ग्रामीण में बांटना निसंदेह अपमानजनक है, क्योंकि बलात्कार तो स्त्री की अस्मिता के साथ किया गया खिलवाड़ है चाहे वह शहर में हो या गांव में। किंतु दोनों की प्रकृति में अंतर नजर आता है।

ग्रामीण परिवेश में प्रायः ऊंची जाति के लोगों द्वारा निचली जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और उसे बचाने के लिए ऊंची जाति के लोग अपराधी के पक्ष में सगठित हो जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में एक ओर खाप पंचायतें प्रेम करने पर आनर किलिंग का फरमान सुनाती हैं तो दूसरी ओर बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए समझौता करवाने का दबाव बनाती हैं।

जबकि शहरों में बलात्कार के पारंपरिक मामलों के अलावा अन्य प्रकार से भी बलात्कार की पीड़ा सामने आती है। जहां पीड़िता व आरोपी स्वेच्छा से पहले से ही शारीरिक संबंध बनाए रहते हैं किंतु फिर भी पीड़िता बलात्कार का आरोप लगाती है। खासकर लिव-इन-रिलेशन में रहने वाली महिलाएं या लड़किया लंबे समय या कुछ समय बाद ही बलात्कार का आरोप लगाती हैं। तो दूसरी ओर शादी करने का वादा कर विश्वास जीतने पर पुरुष स्त्री से यौन संबंध तो बना लेता है किंतु बाद में शादी से मुकर जाता है और अपने को ठगा सा महसूस करती पीड़िता इस आशा से बलात्कार का केस दर्ज करवा देती है कि उसे अपने पुरुष साथी या वायफ्रेंड से शादी करने में मदद मिल सके, क्योंकि वे दोनों काफी लंबे समय से लिव-इन-रिलेशन में रह रहे होते हैं। ऐसे कई केसों में आरोपी पुरुषों या लड़कों ने सजा से बचने के लिए पीड़िता से समझौता कर शादी भी कर ली।

समझौते के सहारे सजा से बचते बलात्कारी

किंतु दुर्भाग्यवश सभी प्रकार के समझौते परस्पर सुखदायी नहीं होते, क्योंकि सजा से बचने के लिए समझौता करनेवाले लड़कों ने बाद में या तो पीड़िता को प्रताड़ित किया अथवा उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। रांची में दायर एक मामले में पीड़िता ने शादी करनेवाले पुरुष पर एक महीने बाद ही आरोप लगाया कि उसका पति अपने दोस्तों के साथ हर रात उसके साथ गैंग रेप करता था। बाद में वे लोग फरार हो गए।

पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के झिल्ली गांव में रहनेवाले न्यूटन पात्रा ने 2010 में बलात्कार

का आरोप लगाने वाली पीड़िता से शादी तो कर ली किंतु कुछ दिनों बाद वह पढ़ाई पूरी करने के बहाने बोलपुर गया तो वापिस ही नहीं लौटा। समझौते के ऐसे दांव-पेंचों का खामियाजा पीड़िता को ही भुगतना पड़ता है। पहले बलात्कार फिर समझौते की आड़ में प्रताड़ना और तत्पश्चात शोषण व अंधकारमय दिशाहीन भविष्य उसे भीतर तक तोड़ डालता है।

ऐसे में उन रास्तों को बंद करने की आवश्यकता अनुभव होती है जिनसे होकर बलात्कार के अपराधी बच निकलते हैं, क्योंकि बलात्कार एक जघन्य अपराध है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि कई ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी दोषियों द्वारा जेल में बिताए गए समय को ही सजा मानकर आरोपियों को छोड़ दिया था जो पीड़िता के प्रति असंवेदनशीलता का परिचायक है।

कड़े कानूनों की दिशा में एक सार्थक पहल

सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय ने एक तरह से बलात्कारी की सजा को कम करने के अधिकार को वापस ले लिया है, क्योंकि इससे पहले बलात्कारी मानसिकतावाले अपराधी यह सोचते थे कि बलात्कार के बाद वे माफी मांगकर या पीड़ित पक्ष के साथ समझौता कर कानून से छूट सकते हैं। इसका एक और सामाजिक दुष्प्रभाव भी था कि जो अपराधी किस्म के शोहदे किसी लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते होंगे उनके लिए यह एक अचूक हथियार था कि पहले बलात्कार करो बाद में विवश पीड़िता से समझौता कर बच निकलो या अपने इरादों को पूरा करने के लिए उसकी मजूबरी का फायदा उठाकर शादी का प्रस्ताव रख दो। ऐसी प्रवृत्ति न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी पूर्णतया गलत है और एक अमानवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।

जाहिर है कि कड़े कानून के बल पर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसलिए दिल्ली के साकेत जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी ला ने भी बलात्कारी से किसी भी प्रकार के समझौते को मान्यता देने का न केवल विरोध किया बल्कि सुझाव दिया कि बलात्कारी का लिंग काटकर उसके कुकृत्यों की सजा दी जाए। उन्होंने ऐसे अपराधियों को उम्रकैद की बजाय मृत्युदंड देने पर भी बल दिया।

हालांकि बलात्कार की सजा के बारे में प्रत्येक के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं किंतु बलात्कार पीड़िता का दंश एक महिला ही बेहतर समझ सकती है। यहां तक कि बलात्कारी को नपुंसक बनाने की मांग ने भी जोर पकड़ा था। अतिशयोक्ति न होगी कि कानूनी दांवपेचों के चलते पीड़िता को हमेशा न्याय नहीं मिल पाता है। कानून का पलड़ा भी अमीरी-गरीबी देखकर कर पक्षपात बैठता है। उल्लेखनीय है कि 2005 में सामूहिक बलात्कार के आरोपी विशू मंडल के मामले में हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के मामलों को 'दुर्लभ से दुर्लभ' श्रेणी का अपराध नहीं माना था, क्योंकि उसने पैसों के बल पर नामी वकील की सेवाएं ली थीं जबकि 2004 में कोलकाता में गरीब धनंजय चटर्जी को इसी समान अपराध के लिए फांसी पर लटकाया गया था। अपराध एक समान था कि वकीलों की दलीलों के आगे कानून ने पक्षपातपूर्ण न्याय किया। ऐसे में एक कठोर, अभेद्य और अकाट्य कानून की आवश्यकता अनुभव होने लगी है! समझौता होने के बावजूद बलात्कारी को सजा देने की दृढ़ संकल्पता इसी प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में एक सार्थक कदम है। जिससे अपराधी समझौते का लाभ उठाकर अब बरी नहीं हो पाएगा क्योंकि रेप व्यक्ति के साथ-साथ समाज के विरुद्ध भी अपराध है और समझौते के आधार पर इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। निःसंदेह अब कोई बलात्कारी समझौता करके नहीं बच सकेगा।

भारतीय कानून के अनुसार फिलहाल बलात्कारी को कम से कम सात साल की सजा दी जाती है तथा बलात्कार व हत्या के अपराध में कम से कम उम्रकेद

का प्रावधान है किंतु दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में फांसी की सजा भी दी जा सकती है। दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 के (दामिनी से) बलात्कार मामले में निचली अदालत ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा देना ही मुनासिब समझा।

न्यायिक व मानवीय दृष्टि से रेप केसों में समझौते के आधार पर छूट दी जानी उचित नहीं है और बलात्कार जैसे मामलों में न्यायालय को निःसंदेह कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि समझौता पीड़िता को सारी उम्र बलात्कार की पीड़ा झेलने पर मजूबर करेगा। बल्कि उसके साथ विवाह करके वह रोज बलात्कार का दंश भोगेगी। भूलना नहीं चाहिए कि अब समझौता करके भी बलात्कारी, बलात्कारी ही रहेगा और पीड़िता को उचित न्याय मिलेगा। समाज में बलात्कार को रोकने उपाय है कड़े कानून और निष्पक्ष न्याय। उनकी कमियों को दूर कर उन्हें सार्थक बनाया जाए और महिला के लिए समाज को सुरक्षित बनाया जाए।

संदर्भ स्त्रोत :—

भारतीय दंड संहिता

नवभारत टाइम्स—29/08/2013, 28/08/2013

दैनिक हिंदुस्तान—29/08/2013, 28/08/2013

दैनिक भास्कर (दिल्ली)—29/08/2013

टाइम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली) 29/08/2013, 28/08/2013

शुक्रवार (पत्रिका)—12/09/2013

दैनिक जागरण (दिल्ली)—11/01/2013

लोकतंत्र में पुलिस सेवा

ओम प्रकाश दार्शनिक
म.सं. 211/64 डी,
अलोपीबाग, इलाहाबाद-211006

'लोकतंत्र' अंग्रेजी शब्द 'डेमोक्रेसी' का हिंदी पर्याय है। यह 'डेमोक्रेसी' शब्द 'डेमोस' (जनता) तथा 'क्रेसी' (शासन) से बना है। इस प्रकार 'डेमोक्रेसी' से 'जनता का शासन' अर्थ ध्वनित होता है। लोकतंत्र की सर्वविदित परिभाषा भी इसी प्रकार है : 'जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार।'

(क) लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं : प्रतिनिधिमूलक सरकार, अर्थात इस अवस्था में जनता निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र चुनाव द्वारा अपनी सरकार बनाती है। यहां नागरिक को किसी प्रतिबंध के बिना मतदाता तथा प्रत्याशी दोनों रूपों में चुनाव में भाग लेने का अधिकार है।

(ख) सरकार संसद और विधानमंडल में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति जवाब देह होती है।

(ग) 'सरकार के सभी प्रयासों और क्रार्यकलापों का लक्ष्य जनता का कल्याण और उन्नति हैं।' भारत के संविधान की उद्देशिका (Preamlde) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत गणराज्य का उद्देश्य तथा कर्तव्य अपने नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है

'समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना की **स्वतंत्रता**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**,
प्राप्त करने के लिए
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**'

जैसाकि भारत के संविधान के भाग 3 मूल अधिकार—में निर्दिष्ट किया गया है, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है; ताकि वे गरिमामय तथा सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें?

लोकतंत्र में पुलिस संगठन

स्वीकृत मानदण्डों तथा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से संगठित समाज के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वहां एक ऐसी व्यवस्था हो, जिस के अंतर्गत नागरिकों के आचरण पर निरंतर नजर रखी जा सके। प्रारंभ में स्वयं जनता नियामक रूप में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करती थी, परंतु जैसे-जैसे समय गुजरता गया तथा समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे नागरिकों द्वारा इस कार्यकलाप के लिए समय निकाल पाना कठिन होता गया। फिर धीरे-धीरे 'पुलिस' नामक संगठन अस्तित्व में आया, इस कार्य के लिए बाकायदा वेतन भी दिया जाता था।

'पुलिस' शब्द उन सिविल अधिकारियों के संगठन पर लागू होता है, जिन्हें शांति और व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की रक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। इस तरह से समाज में व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों पर नियंत्रण रखना पुलिस का प्रमुख कार्य बन गया। किंतु प्राकृतिक तथा स्वयं मानव द्वारा खड़ी की गई आपदाओं में भी पुलिस से सहायता मांगी जाती है। संगठित पुलिस सेवा ने आम नागरिकों को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। इस प्रकार से पुलिस समाज में सुरक्षा तथा स्थिरता सुनिश्चित करती है। औपचारिक रूप से पुलिस की प्रमुख भूमिका तथा कार्य कानून और प्रशासनिक अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर भी जनता पुलिस की भूमिका को व्यापक रूप में देखती है। यद्यपि पुलिस

'राज्य' प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है तथा यह संगठन वर्षभर दिन-रात लगातार जन साधारण की सेवा में तत्पर रहता है। अतएव पुलिस को अनेक ऐसे कार्य भी सौंपे गए हैं जो उन्हें किसी कानून के अंतर्गत नहीं दिए गए हैं। अपने कर्तव्यों को प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए पुलिस को जनसहयोग मिलना चाहिए। ऐसा तभी संभव है, जब पुलिस सही एवं विधिसम्मत रूप से कार्य करेगी। लोगों के साथ शालीन व्यवहार करेगी; अपनी एवं दूसरों की प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा का ध्यान रखेगी। जबकि वर्तमान समय में इसके विपरीत हो रहा है। देखा जा रहा है कि पुलिस अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक लापरवाह एवं उदासीन रहती है, जनता की सुरक्षा करना तो बहुत दूर की बात है; वह तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की भी निर्भय होकर अवहेलना करती है; और तो और पुलिस की आंखों के सामने जनता/ अपराधी एस. ओ. को पीट-पीट कर हत्या कर देती है/ देता है और पुलिस किं कर्तव्य विमूढ़ होकर देखती रहती है या घटनास्थल से हट जाती है। एस. ओ. की हत्या का सबूत मिटाने का पूर्ण अवसर अपराधियों को देती है।

ऐसी ही घटनाएं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के बलीपुर में 02 मार्च 2013 को सी.ओ. जियाउल हक़ को उसके आधीनस्थ पुलिस उग्र भीड़ के बीच में छोड़कर घटनास्थल से भाग जाती है; फलस्वरूप अपराधी सी.ओ. की दर्दनाक हत्या कर देते हैं। इसी प्रकार अन्य दूसरी घटना इलाहाबाद में 14 जून, 2013 को घटित हुई। नैनी, चकदाऊद नगर के डाक्टर की इंडिगो कार 30 मई को बारा इलाके में लूट ली गई थी। 14 जून को कार के मालिक ने बारा के एस.ओ. को फोन पर 10:30 पर बताया कि उसकी लूटी गई कार पाडर पेट्रोल पंप पर खड़ी है। 10:40 पर एस.ओ. बारा बैगन आर कार से पेट्रोल पंप के लिए निकले और एस.ओ. शंकरागढ़ को सतर्क किया। 11:00 बजे एस.ओ. बाटा पेट्रोल पंप पर पहुंचे, पर इंडगो कार आगे निकल चुकी थी, एस.ओ. ने अपनी कार उनके पीछे लगा दी। 11:30 पर इंडिगो कार पर सवार तीन लुटेरों ने एस.ओ. बारा को गोली मार दी और भाग निकले। शंकरगढ़ पुलिस मौका-ए-वारदत पर पहुंची, तब तक एस.ओ. दम तोड़ चुके थे। लूट की कार में सवार बदमाशों का पीछा कर रहे थानेदार की सरकारी पिस्टल भी दगा दे गई।

विचारणीय विषय है कि एस.ओ. ने बदमाशों के भागने की सूचना एस.ओ. शंकरगढ़ को दी लेकिन शंकरगढ़ थाने के ठीक सामने से कार बिना रोक-टोक के निकल गई। किसी पुलिस कर्मचारी ने थाने व चौकी से निकलने का प्रयास नहीं किया अन्यथा इतना बड़ा हादसा न होता। आशय यह है कि एस.ओ. के निर्देश देने पर भी पुलिस की ओर से कोई हरकत नहीं हुई। मदद मांगने पर भी घंटों बाद भी शंकरगढ़ एस.ओ. पुलिस लेकर नहीं निकले और न बारा थाने की पुलिस अपने एस.ओ. की मदद के लिए आई। खाकीवाले जब अपने अफसर की सुरक्षा नहीं कर पाते, तो भला आम आदमी की सुरक्षा थी कौन कहे? इन घटनाओं का ऐलान है कि अपराधियों को अब पुलिस से डर नहीं लगता। पुलिस का यह रवैया और कार्यशैली वास्तव में भयभीत करने वाली है। यही हाल रहा तो अपराधी घरों में घुसकर वर्दीवालों को मारेंगे। यह शर्मनाक है।

जब पुलिस को विधि से सभी शक्तियां प्राप्त होती है, तो पुलिस का दायित्व है कि वह कानून और अवस्थानुसार समाज में शांति बनाए रखे। अपराधों का पता लगाते समय तथा इनकी रोकथाम के दरम्यान प्रक्रियामूलक विधि द्वारा अंकुश रखा जाए। उन्हें पीड़ित व्यक्ति, गवाह एवं अभियुक्त के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र प्रणाली में विधिसम्मत शासन सर्वोपरि होता है। पुलिस संगठन अपने कार्मिकों से यह अपेक्षा रखता है कि वे पहल करके उपलब्धि प्राप्त करें। परंतु विधिसम्मत शासन नागरिकों के अधिकारों पर बल देता है तथा पुलिस की निष्पक्ष क्षमता पर अंकुश

लगाता है। प्रायः पुलिस धर्मसंकट में पड़ जाती है; क्योंकि जहां एक ओर शांति तथा अवस्था, दक्षता तथा पहल शक्ति जैसे विचार जुड़े हैं; वहीं दूसरी ओर उसके सामने विधिसम्मत शासन का प्रश्न है। प्रायः शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए विधिसम्मत शासन का उल्लंघन करने की भी लालसा हो उठती है। फिर भी, यद्यपि पुलिस कानून के अंतर्गत अधिकार एवं सत्ता प्राप्त करती है, इसलिए वह गैर-कानूनी तरीके से अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती।

अपराधों की रोकथाम और उनके निवारण के क्षेत्र में भी पुलिस को दुविधा का-सा सामना करना पड़ता है। जनता पुलिस से यह अपेक्षा रखती है कि वह सभी अपराधों को रोके। दुर्भाग्यवश अपराध से जुड़े अधिकांश कारण पुलिस की नियंत्रण शक्ति से बाहर होते हैं; किंतु जनसाधारण चाहता है कि पुलिस 'संदिग्ध' व्यक्तियों के साथ भी कठोरता से पेश आए। लोगों में विधिक कार्रवाइयों के लिए धैर्य नहीं होता तथा वे तत्काल तत्क्षण परिणामों की मांग करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया की गति काफी धीमी होती है और यह 'अनभिज्ञता की उपधारणा' के सिद्धांत पर आधारित है। जब गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति की जमानत पर या साक्ष्य के अभाव में न्यायिक प्राधिकारी द्वारा छोड़ दिया जाता है तो इस संबंध में जनता पुलिस पर आरोप लगाती है। इन दबावों के कारण पुलिस को कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है तथा उसे संदिग्ध व्यक्तियों के साथ भी कठोरता से पेश आना पड़ता है। इस प्रकार से पुलिस को उत्पीड़न का मार्ग भी अपनाना पड़ता है।

लोकतंत्र में पुलिस का चार्टर बहुत अधिक व्यापक है। पुलिस संगठन को सामाजिक विधान के अंतर्गत लोगों के कार्यकलापों को विनियमित करना होता है। यद्यपि लोकतंत्र में स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु पुलिस की कार्रवाइयों को देखते हुए, इसका महत्व कम लगने लगता है। प्रायः पुलिस की कठोर कार्रवाई से पुलिस और जनता में ठन जाती है। अब सामुदायिक सेवा को पुलिस के अन्य सभी कार्यकलापों की तुलना में अधिक वरीयता दी जाती है।

पुलिस की सबसे बड़ी कठिनाई 'आदर्श नागरिक' की अवधारणा है। उसके आचरण तथा कार्यकलापों पर हमेशा जनता की नजर रहती है। लोग उससे आदर्श व्यक्ति होने की अपेक्षा रखते हैं। पुलिस से यह आशा की जाती है कि उसका आचरण अन्य नागरिकों की तुलना में श्रेष्ठ हो। पुलिस के लिये बाध्यकारी नियम यह है कि वह अच्छाई का प्रतीक बने। अपने कार्यक्षेत्र में वह स्वविवेक से अधिकार शक्ति का प्रयोग करती है, चाहे उसे समावेदन की विधि (law of motion) निश्चित करनी है या नहीं। इस प्रकार पुलिस के आचरण पर लोकतंत्र के जीवन की गुणवत्ता निर्भर करती है।

लोकतंत्र में पुलिस अवस्था अत्यधिक जटिल है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के आचार व्यवहार में मानव मूल्य आत्मसात होने चाहिए। चिकित्सा का व्यवसाय क्षेत्र तथा पुलिस व्यवस्था एक समान है। लोग जब निराश और हताश हो जाते हैं, तभी इन दोनों के पास, अर्थात डाक्टर और पुलिस के पास जाते हैं। लोग चाहते हैं कि चमत्कारिक ढंग से उनकी समस्या/पीड़ा का निराकरण किया जाए तथा वे 'न' सुनने के अभ्यस्त नहीं होते हैं। डाक्टर व पुलिस से आशा की जाती है कि वे 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहें। जनता यह आशा रखती है कि इन दोनों में सहानुभूति, दया, शिष्टाचार तथा मानवता जैसे गुठा हों। इनके पास अपने व्यवसाय तथा व्यक्ति आचरण के सर्वोच्च मानदंड हों। जनता की दृष्टि में पुलिस स्टेशन तथा अस्पताल का कार्य तत्क्षण राहत पहुंचाना है।

अंततः पुलिस सेवा अनिवार्यतः सामाजिक कार्य है, जो जनता की सेवा करती है तथा जरूरतमंदो की मददगार है। पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में वस्तुतः समाज सेवक है। लोकतंत्र प्रणाली में सफलता पाने के लिए पुलिस को जनसहयोग तथा यहां तक कि चाटुकारिता पर भी भरोसा करना पड़ता

है। किसी हथियार तथा कानून के प्रयोग से वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। पुलिस को जनता का सदभाव, सदाशयता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसको अपने कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति सदैव सजग, चैतन्य व सावधान रहना आवश्यक है। उसको अपने दायित्वों का निर्वाह बड़ी ईमानदारी के साथ करना आवश्यक है तथा नागरिकों की गरिमा के प्रति आदर-भाव रखना व अपने अधिकारियों के प्रति वफादार रहना अनिवार्य है। मानव अधिकारों की समझ तथा सिद्धांतों का पालन करके ही पुलिस आम जनता का सदभाव, आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सफल हो सकेगी।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :—

संपादक
पुलिस विज्ञान
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, चौथी मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन : 24360371 एक्स. 115

वैब साइट — डब्लू.डब्लू.डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क करें।

(दूरभाष : 011-24362418, 24360371 एक्स-253 तथा फैक्स : 011-24362425)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष माह में भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून होती है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 8000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 9000/- रु. तथा इसके साथ फुटकर खर्च के लिए 10000/- रु. तथा जिस संस्था से वह पंजीकृत होगा उसे 3000/- रु. प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेब साइट www.bprd.gov.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 01124360371243)

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (सी.सी.), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 (फोन नं. 01124362418 एवं 01124263872) पर संपर्क कर सकते हैं। तथा ब्यूरो की www.bprd.gov.in वेब साइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	*पुस्तक का नाम*	*लेखक का नाम*	*मूल्य*
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीतकाल से मुगलकाल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती, डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-
21.	**अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**	डा. निशांत सिंह	545/-
22.	**अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं**	डा. ऋता तिवारी डा. उपनीत लाली	775/-
23.	**वैध समस्याओं के निदान हेतु बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति**	श्री राकेश प्रकाश	
24.	**आतंकवाद एवं जन साझेदारी**	श्री विश्वेश शर्मा	665/-
25.	**व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास**	श्रीमती नीना लांबा	665/-
26.	**बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास**	प्रो. दीप्ति श्रीवास्तव	665/-
27.	**नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका**	श्री राकेश कुमार सिंह	1180/-
28.	**पुलिस नेतृत्व**	डा. प्रशांत चौबे	—

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

पुलिस से संबंधित हिंदी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना वर्ष 2013-14

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिंदी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनाशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के द्वारा प्रोत्साहित करता है।

इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं—

भाग-1

पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :

(1) मूल प्रकाशित पुस्तकें—` 30,000 तक के पांच पुरस्कार। इनमें से एक पुरस्कार महिला लेखिका के लिए आरक्षित है, बशर्ते उनकी रचनाएं उपलब्ध हों।

(2) हिंदी में अनूदित प्रकाशित पुस्तकें—` 14,000 तक के दो पुरस्कार। एक पुरस्कार महिला अनुवादक के लिए आरक्षित है, बशर्ते उनकी रचना उपलब्ध हो।

भाग-2

ब्यूरो पुलिस से संबंधित किसी निश्चित विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रति वर्ष ` 40,000 तक का पुरस्कार प्रदान करता है। लेखक को इस विषय पर क्या-क्या सामग्री पुस्तक में शामिल करनी है का उल्लेख अपनी एक रूपरेखा के द्वारा ब्यूरो में जमा करना होगा। इस वर्ष का विषय है : **वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पुलिस का व्यवहार**। इसी भाग के अंतर्गत एक अन्य ` 40,000/- का पुरस्कार केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिस का विषय होगा **नक्सल विरोधी अभियान में महिला पुलिस का योगदान**। इस विषय पर भी रूपरेखाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

नियम

(1) इस पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

(2) योजना भाग-1 में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो 31.12.2013 तक प्रकाशित हुई हैं।

3. भाग-1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं, परन्तु विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया जाता है तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी। प्रकाशन की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी।

भाग-2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी।

4. पुस्तकों/पांडुलिपियों की तीन-तीन प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र के साथ इस ब्यूरो को भेजी जाएंगी। ये पुस्तकें/पांडुलिपियां वापिस नहीं की जाती हैं।

5. पुस्तकें लगभग 100 पृष्ठों की अवश्य होनी चाहिए।

6. योजना भाग-2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय की विस्तृत रूपरेखा और अपना बायोडाटा तीन प्रतियों में भेजे।
7. इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो।
8. योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों/रूपरेखाओं का मूल्यांकन, एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है, तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा पुस्तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि को कम कर दे।
9. किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, वह आगामी तीन वर्षों के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।
10. उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक/पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो कार्यालय में 30.9.2013 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।
11. कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें :

संपादक हिंदी
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, 3/4 तल, लोदी रोड,
सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
फोन-011-24360371/115
011-24389615

संबंधित जानकारी ब्यूरो की वेब साइट www.bprd.nic.in पर भी देख सकते हैं।